

**हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल-I**  
**शिमला-I के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन**  
**अवधि 04/2015 से 03/2016**

**भाग-एक**

**1 (क) प्रस्तावना**

निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) को आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण नियम, 2004 की धारा 28(3) के अंतर्गत विहित प्रावधानों व हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एच.एस.जी.-4(डी)1-1/92/2, दिनांक 13.09.2004 के अनुसार आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण हेतु अधिकृत किया गया है। तदनुसार आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के निर्माण मण्डल-I, जिला शिमला के लेखाओं अवधि 04/2015 से 03/2016 का अंकेक्षण एवं निरीक्षण का कार्य किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान इस मण्डल के आहरण एवं संवितरण अधिकारी के पद का कार्य निम्न अधिकारियों द्वारा निष्पादित किया गया।

क्रम सं०	नाम व पद नाम	अवधि
1.	श्री संदीप सेन, अधिशाषी अभियन्ता	1.4.2015 से 22.5.2015
2.	श्री भूपाल चौहान, अधिशाषी अभियन्ता	23.5.15 से 31.3.2016

(ख) हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण, निर्माण मण्डल-I के लेखाओं अवधि 04/2015 से 03/2016 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण निम्न दिया गया है।

क्रम सं.	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण	पैरा सं.	राशि लाखों में (₹)
1	स्टाफ अग्रिम समायोजन हेतु शेष	5	4.16
2	विविध अग्रिम समायोजन हेतु शेष	5.1	94.84
3	विविध अग्रिम अनेक वर्षों से समायोजन हेतु लम्बित	5.2	1.10
4	जल प्रभार राशि मकान/प्लॉट मालिकों से वसूली हेतु शेष	5.3	5.82
5	रख-रखाव प्रभार वसूली हेतु शेष	5.4	34.00
6	आवासीय बस्तियों के रख-रखाव पर प्राप्ति से अधिक	6	34.31

	व्यय के कारण हानि		
7	आवासीय बस्तियों के जल प्रभार की प्राप्ति से अधिक व्यय के कारण हानि	6.1	2.68
8	संविदाकारों के धरोहर/प्रतिभूति (Security) खातों में डेबिट शेष	8	8.36
9	विभिन्न लेखा शीर्षों/खातों में डेबिट शेष	8.2	40.39
10	भण्डार मदों का विगत कई वर्षों से उपयोग न करना	9	9.46
11	वेतन व भत्तों का कर्मचारियों को अनियमित भुगतान	10	148.26
12	"सेवा कर" व "स्वच्छ भारत सेस" जमा न करना	13	27.59
13	अग्रिम राशि का बिल/वाउचर के बिना समायोजन करना	14	154.35
14	संविदाकार के चलत बिलों से राशि With-held न करना	16.1	0.58
15	अतिरिक्त मिट्टी की ढुलाई हेतु भुगतान	18.1	20.25
16	अतिरिक्त मद हेतु संभावित अधिक भुगतान	19.1	2.93
17	निष्पादित निर्माण कार्यों की विभिन्न मदों की मात्रा में बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से विचलन	24	96.74
18	प्रतिभूति का संविदाकार को अनियमित भुगतान	26	4.36

**(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन**

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में संलग्न परिशिष्ट "क" में दर्शाई गई है। वर्ष 04/1995 से 03/2015 तक मण्डल से संबन्धित 280 पैरे शेष हैं, जिनका वर्षवार विवरण निम्न प्रकार से हैं:-

क्रम सं०	वर्ष	शेष पैरों की संख्या
1	4/1995 से 3/1996 तक	3
2	4/1996 से 3/1997 तक	1
3	4/1998 से 3/1999 तक	3
4	4/2000 से 3/2001 तक	4
5	4/2001 से 3/2002 तक	5
6	4/2002 से 3/2003 तक	1
7	4/2003 से 3/2004 तक	5
8	4/2004 से 3/2005 तक	5
9	4/2005 से 3/2006 तक	5
10	4/2006 से 3/2007 तक	1

11	4/2007 से 3/2008 तक	3
12	4/2008 से 3/2009 तक	11
13	4/2009 से 3/2010 तक	13
14	4/2010 से 3/2011 तक	5
15	4/2011 से 3/2012 तक	11
16	4/2012 से 3/2013 तक	8
17	4/2013 से 3/2014 तक	22
18	4/2014 से 3/2015 तक	9

**पूर्व नगर विकास प्राधिकरण में मण्डल-1 को वांछित कार्यवाही हेतु स्थानान्तरित पैरों की संख्या:-**

1	4/1990 से 3/1991 तक	3
2	4/1991 से 3/1992 तक	12
3	4/1992 से 3/1993 तक	7
4	4/1993 से 3/1994 तक	24
5	4/1994 से 3/1995 तक	10
6	4/1995 से 3/1996 तक	14
7	4/1996 से 3/1997 तक	28
8	4/1997 से 3/1998 तक	36
9	4/1998 से 3/1999 तक	16
10	4/1999 से 15.1.2001 तक	15

अतः अधिशाषी अभियन्ता, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल-I, जिला शिमला, हि.प्र. को अनुरोध किया जाता है की वह उपरोक्त शेष अंकेक्षण पैरो में अपेक्षित कार्यवाही करने के उपरान्त इन पैरो का निस्तारण करवाना सुनिश्चित करें।

## **भाग-2**

### **2. वर्तमान अंकेक्षण:-**

हि०प्र० आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल-I के लेखाओं अवधि 1.4.2015 से 31.3.2016 तक का वर्तमान अंकेक्षण सर्वश्री राम सिंह चौहान व मनजीत भाटिया, अनुभाग अधिकारी (ले०प०) तथा ललित कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा श्री सतपाल सिंह, उप-निदेशक, स्थानीय लेखा प्ररीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश), शिमला-09 के पर्यवेक्षण में दिनांक 6.1.2017 से 15.2.2017 तक शिमला स्थित कार्यालय में किया गया। मास 3/2016 के लेखाओं का चयन विस्तृत जाँच के लिए किया गया, जिसके परिणामों को आगामी

पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है। आगामी पैराग्राफों में दर्शाए गए अभिलेखों के अतिरिक्त समस्त अभिलेख अंकेक्षण हेतु उपलब्ध करवाया गया।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण, अधिशाषी अभियन्ता, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल-I, जिला शिमला, हि. प्र. द्वारा प्रेषित सूचनाओं के आधार पर किया गया है, किसी प्रकार की अधूरी व छुपाई गई सूचना के लिए स्थानीय लेखा प्ररीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) शिमला-09 का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

### 3. अंकेक्षण शुल्क: -

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के निर्माण मण्डल-I, जिला शिमला के लेखाओं अवधि 4/2015 से 3/2016 के अंकेक्षण शुल्क की राशि जमा करवाने हेतु सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हिमाचल प्रदेश, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण शिमला-02 को अलग से अनुरोध किया गया जाएगा।

### 4. बैंक समाधान विवरण: -

निर्माण मण्डल-I शिमला-09 के दिनांक 31.03.2016 को बैंक समाधान विवरण का पूर्ण ब्यौरा परिशिष्ट-"ख" पर दिया गया है। बैंक समाधान विवरण का अवलोकन करने पर निम्न आपत्तियाँ पाई गई:-

#### 4.1 यूको बैंक, निगम विहार, शिमला-02 (खाता संख्या 45) :-

4.1.1 ₹6882.84 का दिनांक 31.03.2016 तक क्रेडिट न दिया जाना

चैक सं० 595036 दिनांक 30.07.1986 3842.55

चैक सं० 406004 दिनांक 22.02.1989 3040.29

**6882.84**

उपरोक्त दोनों चैक यूको बैंक निगम विहार में वर्ष 1986 और 1989 में जमा करवाए गए थे परन्तु आज तक बैंक द्वारा उक्त दोनों चैको की राशि को निर्माण मण्डल के बैंक खाते में जमा नहीं किया गया है। इतनी अधिक पुरानी अवधि के चैकों को बैंक द्वारा किन कारणों से मण्डल के खातों में जमा नहीं किया गया इस तथ्य की कोई जानकारी मण्डल स्तर पर उपलब्ध नहीं थी। यह अपने आप में एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है। नियमानुसार एक चैक जारी करने की तिथि से 3 माह के लिए भुगतान हेतु मान्य होता है। इन चैकों के कालातीत होने के पश्चात संबन्धित व्यक्तियों/फर्म से ₹6882.84 को प्राप्त करने हेतु कोई प्रयास

न करना एक गम्भीर मामला है। अतः यह मामला मण्डल अधिकारियों के समक्ष आवश्यक एवं उचित अपेक्षित कार्यवाही हेतु लाया जाता है। अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाये।

#### 4.2 एक्सिज बैंक (खाता संख्या 1083) :-

##### 4.2.1 ₹31,532 के कालातीत चैक को रद्द न करना:-

₹31,532 का चैक संख्या 071578, दिनांक 29.9.14 को भुगतान हेतु जारी किया गया परन्तु इसे बैंक से दिनांक 31.3.2016 तक भुनाया नहीं गया था, जबकि नियमानुसार उक्त चैक जारी होने से 3 माह पश्चात कालातीत हो चुका है। अतः उक्त चैक को रद्द करके रोकड़ बही में लेखांकित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

##### 4.2.2 ₹40,64,618 का बैंक द्वारा में क्रेडिट/जमा करना:-

बैंक द्वारा दिनांक 9.12.2015 को खाते में ₹40,64,618 जमा की गई जिसे दिनांक 31.3.2016 तक रोकड़ बही में लेखांकित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि यह राशि कहाँ से प्राप्त हुई है। अतः उक्त राशि को शीघ्र रोकड़ बही में लेखांकित करके इससे संबन्धित विस्तृत विवरण/सूचना अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये।

##### 4.2.3 ₹840 का समाधान न करना:-

₹19,082 का चैक संख्या 093358, दिनांक 19.11.15 को भुगतान हेतु जारी किया गया परन्तु बैंक द्वारा उक्त चैक के विरुद्ध केवल ₹18,242 का भुगतान किया गया। इस प्रकार ₹840 के अन्तर का दिनांक 31.3.2016 तक मण्डल द्वारा समाधान नहीं किया गया था। अतः इस सम्बन्ध में उचित छानबीन करके शीघ्र अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

#### 4.3 स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (खाता संख्या 4327) :-

##### 4.3.1 ₹630 के बैंक चर्जिज को रोकड़ बही में लेखांकित न करना:-

बैंक द्वारा दिनांक 12.3.2016 को ₹630 बैंक चर्जिज के रूप में काटी गई जिसको दिनांक 31.3.2016 तक रोकड़ बही में लेखांकित नहीं किया गया था। अतः इस सम्बन्ध में शीघ्र अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

#### 5 स्टाफ अग्रिम ₹4.16 लाख समायोजन हेतु शेष:-

स्टाफ अग्रिम लेखा की जाँच करने पर गया कि दिनांक 31.3.2016 तक ₹4,16,065/- समायोजन हेतु शेष थी। जिसका विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट-“ग” में दिया गया है। स्टाफ अग्रिम विवरण की जाँच में पाया गया कि अधिकतर अग्रिम सहायक अभियन्ताओं एवं कनिष्ठ अभियन्ताओं से संबन्धित

थे। अतः इस सम्बन्ध में अग्रिम के समायोजन हेतु शीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जाए व कृत अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

**5.1 विविध अग्रिम ₹94.84 लाख दिनांक 31.3.2016 को समायोजन हेतु शेष:-**

विविध अग्रिम से संबन्धित विवरण की जाँच करने पर पाया गया कि दिनांक 31.3.2016 तक विभिन्न विभागों/फ़र्मों/संविदाकारों से ₹94,84,134/- समायोजन हेतु शेष थी। इस राशि का पूर्ण विवरण परिशिष्ट-“घ” पर दिया गया है। जाँच करने पर पाया गया कि विविध अग्रिम की अधिकतर राशियाँ अनेक वर्षों से निपटारे हेतु लम्बित पड़ी हुई थीं। अतः इस सम्बन्ध में अग्रिम के समायोजन हेतु शीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जाए। अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

**5.2 विविध अग्रिम की ₹1.10 लाख अनेक वर्षों से समायोजन हेतु लम्बित:-**

विविध अग्रिम विवरण की जाँच करने पर पाया गया कि ₹1,10,344/- श्री जे. के. कपूर ए.ई. (सेवानिवृत्त) जो कि एच.पी.पी.डबल्यू.डी. से हिमुडा निर्माण मण्डल-I में प्रतिनियुक्ति पर आए थे, से गत कई वर्षों से समायोजन हेतु लम्बित है। अंकेक्षण अधियाचना सं० 09, दिनांक 28.01.2017 के प्रतिउत्तर में अधिशाषी अभियंता निर्माण मण्डल ने पत्र संख्या HIMUDA/AB/Audit Para/2016-3301 दिनांक 1.2.2017 द्वारा सूचित किया कि लोक निर्माण विभाग को उक्त सेवानिवृत्त अधिकारी का पता प्रेषित करने हेतु लिखा गया था परन्तु अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 4.2 में भी अंकेक्षण द्वारा आपत्ति उठाई गई थी परन्तु आज तक इस राशि के समायोजन के लिए कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। अतः अग्रिम राशि के समायोजन हेतु शीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जाए व समायोजन के लिए जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार उचित कार्यवाही की जाए तथा कृत अनुपालना से इस विभाग को भी सूचित किया जाए।

**5.3 दिनांक 31.3.2016 तक ₹5.82 लाख जल प्रभार के रूप में मकान/प्लाट मालिकों से वसूली हेतु शेष:-**

हिमुडा निर्माण मण्डल-I के अन्तर्गत विभिन्न आवास बस्तियों के मकान/प्लाट मालिकों से दिनांक 31.3.2016 तक ₹5,82,162.32 जल प्रभार के रूप में वसूली हेतु शेष थी जिसका विवरण निम्न दिया गया है। इस राशि की वसूली हेतु अपेक्षित उचित एवं प्रभावशाली कदम उठाए जायें:-

क्रम	आवासीय बस्ती का नाम	जल प्रभार की दिनांक 31.3.2016 तक शेष
1	आवास बस्ती संजौली फेस-1 व 2	20,956.32
2	आवास बस्ती संजौली फेस- 3	5,61,206.00
<b>कुल योग</b>		<b>5,82,162.32</b>

**5.4 दिनांक 31.3.2016 तक रख-रखाव प्रभार की ₹34.00 लाख वसूली हेतु शेष:-**

हिमुडा निर्माण मण्डल-I के अन्तर्गत विभिन्न आवास बस्तियों के मकान/प्लॉट मालिकों से दिनांक 31.3.2016 तक ₹33,99,543 की राशि रख-रखाव प्रभार के रूप में वसूली हेतु शेष थी जिसका विवरण निम्न दिया गया है। अतः इस राशि की वसूली हेतु उचित एवं प्रभावशाली कदम उठाए जायें।

क्रम	आवासीय बस्ती का नाम	रख-रखाव प्रभार की दिनांक 31.3.2016 तक शेष राशि (₹)
1	आवास बस्ती संजौली फेस-1 व	29,922.00
2	आवास बस्ती संजौली फेस-3	6,77,616.00
3	आवास बस्ती रोहड़ू	26,92,005.00
<b>कुल योग</b>		<b>33,99,543.00</b>

**6 आवासीय बस्तियों के रख-रखाव पर प्राप्ति से अधिक व्यय के कारण ₹34.31 लाख की हानि:-**

निर्माण मण्डल की विभिन्न आवासीय बस्तियों के रख-रखाव शुल्क व किए गए व्यय से संबन्धित अभिलेख की पड़ताल करने पर पाया गया कि वर्ष 2013-14 से 2015-16 के दौरान रख-रखाव शुल्क की प्राप्ति की तुलना में अधिक व्यय किया गया था जिसके कारण निम्न विवरण अनुसार मण्डल को ₹34,31,247/- की हानि हुई, जबकि नियमानुसार आय व व्यय का अनुपात एक समान होना चाहिए था। अतः पाई गई वित्तीय हानि बारे तथ्यों सहित कारण स्पष्ट किया जाये व भविष्य में रख-रखाव पर व्यय की राशि को नियंत्रित किया जाना सुनिश्चित किया जाये:-

वर्ष	आवासीय बस्ती का नाम	रख-रखाव शुल्क की प्राप्ति	रख-रखाव पर व्यय	अधिक व्यय
2013-14	संजौली (फेज I, II & III)	336382	1326554	990172
	रोहड़ू	450701	667975	217274

2014-15	संजौली (फेज I, II & III)	333840	334528	688
	रोहड़ू	119633	264485	144852
2015-16	संजौली (फेज I, II & III)	388742	1386151	997409
	रोहड़ू	200250	1281102	1080852
			<b>योग</b>	<b>3431247</b>

### 6.1 आवासीय बस्तियों के जल प्रभार की प्राप्ति से अधिक व्यय के कारण ₹2.68 लाख की हानि:-

निर्माण मण्डल की विभिन्न आवासीय बस्तियों के जल प्रभार व किए गए व्यय से संबन्धित अभिलेख की पड़ताल करने पर पाया गया कि वर्ष 2014-15 व 2015-16 के दौरान आबंटियों से जल प्रभार की प्राप्ति की तुलना में अधिक व्यय किया गया था जिसके कारण निम्न विवरण अनुसार मण्डल को ₹2,67,695/- की हानि हुई, जबकि नियमानुसार आय व व्यय का अनुपात समान होना चाहिए था। अतः पाई गई वित्तीय हानि बारे तथ्यों सहित कारण स्पष्ट किया जाये व भविष्य में रख-रखाव पर व्यय की राशि को नियंत्रित किया जाना सुनिश्चित किया जाये:-

वर्ष	आवासीय बस्ती का नाम	आबंटियों से जल प्रभार की प्राप्ति	जल प्रभार बिलों का नगर निगम को किया गया भुगतान	अधिक व्यय
2014-				
1		244943	282846	37903
5	संजौली (फेज I, II & III)			
2015-				
1		894330	1124122	229792
6	संजौली (फेज I, II & III)			
			<b>योग</b>	<b>267695</b>

### 6.2 विश्राम गृह शिमला (बी०सी०एस०) से आय की तुलना में अत्यधिक व्यय:-

हिमुडा निर्माण मण्डल के अधीन विश्राम गृह शिमला (बी०सी०एस०) के आय व व्यय से संबन्धित अभिलेख की पड़ताल करने पर पाया गया कि विश्राम गृह से प्राप्त आय की तुलना में अधिक व्यय किया गया था। वर्ष 2015-16 के दौरान विश्राम गृह से प्राप्त आय की तुलना में किए गए व्यय का केवल 7.98%

थी, जैसा कि निम्न सारणी से ज्ञात होता है। अतः यह मामला उच्च अधिकारियों के समक्ष आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है:-

वर्ष	आय	व्यय	व्यय की तुलना में आय का प्रतिशत
2015-16	64,610	8,10,133	7.98%

**6.3 प्रशासनिक प्रभार की प्राप्ति की तुलना में वेतन व भत्तों पर ₹172.86 लाख का अधिक व्यय:-**

निर्माण मण्डल के लेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि मण्डल द्वारा वर्ष 2015-16 के दौरान निष्पादित निर्माण कार्यों से प्राप्त प्रशासनिक प्रभार की तुलना में वेतन एवं भत्तों पर ₹1,72,85,511/- का निम्न विवरणानुसार अधिक व्यय किया गया। अतः यह मामला आवश्यक कार्यवाही हेतु हिमुडा के उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है:-

वर्ष	विवरण	राशि (₹)
2015-16	स्थापना (वेतन व भत्ते) पर व्यय	2,91,87,651
	प्रशासनिक प्रभार की प्राप्त राशि	1,19,02,140
	प्राप्ति की तुलना में अधिक व्यय	<b>1,72,85,511</b>

**7 विभिन्न आवासीय बस्तियों के रख-रखाव प्रभार पर ₹0.72 लाख के "सेवा कर" की राशि को पृथक न करना:-**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि "स्थापना खाता बही" पृष्ठ-178 के अनुसार मण्डल कार्यालय को रख-रखाव खाते में वर्ष 2015-16 में आवासीय बस्ती संजौली व रोहड़ू से दिनांक 31.3.2016 तक कुल ₹5,88,992/- रख-रखाव प्रभार के रूप में प्राप्त हुई। उक्त बस्तियों के आबंटियों की खाता बहियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त राशि में 14% की दर से सेवा कर (Service Tax) की राशि भी शामिल थी जिसे "सेवा कर" के खाते में जमा नहीं किया गया था। अतः इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण दिया जाये तथा ₹72,332/-  $[(588992/114) \times (100) - 588992]$  को रख-रखाव खाते से निकाल कर "सेवा कर" के खाते में हस्तांतरित किया जाये व कृत अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये।

**8 ₹8.36 लाख का संविदाकारों के धरोहर/प्रतिभूति (Security) खातों में डेबिट पाया जाना:-**

संविदाकारों की प्रतिभूति खातों के अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनांक 31.03.2016 को विभिन्न संविदाकारों के व्यक्तिगत खातों में

₹8,35,879 की धरोहर/प्रतिभूति जमा राशि का अन्तशेष डेबिट रूप में पाया गया, जिसका विवरण परिशिष्ट-इ" पर दिया गया है। संविदाकारों की प्रतिभूति खातों में अन्तशेष का डेबिट होना यह दर्शाता है कि संविदाकारों को प्राप्त राशि से अधिक राशि का भुगतान किया गया जोकि एक अत्यन्त गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। अतः इस सम्बन्ध में उचित छानबीन की जाए और ₹8,35,879 के डेबिट बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा डेबिट राशि की वसूली संबन्धित संविदाकार से की जानी सुनिश्चित की जाए तथा कृत अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

**8.1 ₹0.30 लाख का संविदाकारों के डिपॉजिट खातों (Deposit Accounts) में डेबिट पाया जाना:-**

संविदाकारों के डिपॉजिट खातों का अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनांक 31.03.2016 को निम्न वर्णित खातों में ₹30,000 डेबिट रूप में थी, जबकि संविदाकारों के डिपॉजिट खातों का पूर्ण विवरण परिशिष्ट-"च" पर दिया गया है। संविदाकारों के डिपॉजिट खातों में अन्तशेष का डेबिट होना यह दर्शाता है कि जितनी राशि खातों में जमा थी उससे अधिक राशि का भुगतान संविदाकारों को कर दिया गया जोकि एक अत्यन्त गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। अतः इस सम्बन्ध में उचित छानबीन की जाए और ₹30,000 के डेबिट बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा डेबिट राशि की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए तथा कृत अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए:-

क्रम संख्या	संविदाकार का नाम	दिनांक 31.3.2016 को अंतशेष
1	मै० कपिल कन्स्ट्रक्शन कं०	25,000
2	श्री राकेश कुमार विज	5,000
<b>योग</b>		<b>30,000</b>

**8.2 ₹40.39 लाख का विभिन्न लेखा शीर्षों/खातों में डेबिट शेष पाया जाना:-**

अंकेक्षण के दौरान खाता बहियों के अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनांक 31.3.2016 को निम्न वर्णित लेखा शीर्षों में डेबिट शेष पाया गया:-

क्रम सं०	लेखा शीर्ष	खाता बही पृष्ठ	दिनांक 31.3.16 को डेबिट शेष (₹)
1.	Board Share Exp. A/C	29	39,52,622
2.	CPF Subscription A/C	241	42,337
3.	GPF Subscription A/C	254	44,264
<b>Total</b>			<b>40,39,223</b>

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि इन खातों में देय (Credit) राशि से अधिक राशि कर्मचारियों के खातों में भुगतान (Debit) की गयी जो कि अनियमित व आपत्तिजनक है। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 13, दिनांक 31.1.2017 का कोई भी प्रतिउत्तर अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः इस सम्बन्ध तथ्यों सहित उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाये।

**8.3 दिनांक 31.3.16 तक ₹51.08 लाख की धरोहर राशि सावधि जमा में पाया जाना:-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 06, दिनांक 27.1.2017 के प्रतिउत्तर में परिशिष्ट-"छ" के माध्यम से सूचित किया गया कि निर्माण मण्डल के पास दिनांक 31.3.2016 को विभिन्न संविदाकारों की धरोहर ₹51,07,909 सावधि जमा के रूप में पड़ी थी। परन्तु "राष्ट्रीय बचत पत्र" के रूप में पड़ी धरोहर राशि की जानकारी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गयी। अतः इस सम्बन्ध में उचित स्पष्टीकरण दिया जाये व अपेक्षित सूचना/वस्तुस्थिति से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

**8.4 कालातीत धरोहर/प्रतिभूति राशि की नवीनतम स्थिति प्रस्तुत न करना:-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 06, दिनांक 27.1.2017 द्वारा CPWD Works Manual Volume II के नियम 23.10 के अन्तर्गत दिनांक 31.3.2016 तक संविदाकारों की कुल कालातीत प्रतिभूति से संबन्धित सूचना मांगी गई थी जिसके प्रतिउत्तर में मण्डल द्वारा पत्र संख्या 3363, दिनांक 1.2.17 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त सूचना शीघ्र प्रस्तुत नहीं की जा सकती, हालांकि माह 2/2017 में ₹80,444 की कालातीत प्रतिभूति जब्त की गयी है। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि मण्डल द्वारा उक्त नियम के अन्तर्गत पूर्ण अपेक्षित कार्यवाही की जानी अपेक्षित थी। अतः सुझाव दिया जाता है कि नियमानुसार समस्त कालातीत प्रतिभूति की जानकारी जुटाकर भविष्य हेतु अभिलेख तैयार किया जाये जिसमें समय-2 पर नवीनतम स्थिति जोड़ी जाये ताकि इस राशि को जब्त करके निर्माण मण्डल की विविध आय में दर्शाया जा सके। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

**9 ₹9.46 लाख की भण्डार मदों का विगत कई वर्षों से उपयोग नहीं करना:-**

स्टॉक लेखा व खाता बही में दिनांक 31.03.2016 को पाये गए अन्तःशेष की जाँच करने पर पाया गया कि दिनांक 31.03.2016 को ₹37,76,058.67 का स्टॉक शेष था। हिमुडा निर्माण मण्डल-I द्वारा उपलब्ध करवाए गए निर्माण

सामग्री विवरण परिशिष्ट-“ज” के अनुसार ₹9,45,694.26 की सामग्री विगत कई वर्षों से शेष दर्शाई गई थी। अतः अनेक वर्षों से निर्माण सामग्री का उपयोग न करने का कारण स्पष्ट करते हुये इन भण्डार मदों का प्रत्यक्ष सत्यापनोपरान्त आगामी कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाये।

**10 ₹148.26 लाख के वेतन व भत्तों का कर्मचारियों को अनियमित भुगतान:-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 1 , दिनांक 6.1.2017 व 4 , दिनांक 21.12.2017 के प्रतिउत्तर में मण्डल द्वारा निम्न वर्णित श्रेणियों के कार्यरत कर्मचारियों के स्वीकृत पदों बारे कोई भी सूचना अंकेक्षण को प्रदान नहीं की गयी जबकि इन कर्मचारियों को वर्ष 2015-16 में ₹148.26 लाख का वेतन व भत्तों के रूप में भुगतान किया गया। स्वीकृत पदों के बिना वेतन व भत्तों का भुगतान करना अनियमित ही नहीं अपितु गम्भीर आपत्तीजनक भी है। मौखिक रूप से अंकेक्षण को सूचित किया गया कि अपेक्षित सूचना हिमुडा मुख्यालय, शिमला-2 से प्राप्त करके अंकेक्षण को प्रस्तुत कर दी जाएगी। अतः अपेक्षित कार्यवाही शीघ्र अमल में लाकर अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये ताकि उक्त वेतन व भत्तों की भुगतान राशि को नियमित ठहराया जा सके:-

क्रम सं०	श्रेणी	कर्मचारियों की संख्या	वेतनमान	माह 4/2015 में वेतन व भत्तों का भुगतान (₹)	वर्ष 2015-16 में वेतन व भत्तों का भुगतान (₹)	वर्ष 2015-16 में वेतन व भत्तों का भुगतान (₹)
1	वर्क इंस्पेक्टर	14	5910-20200 +1900 जी०पी०	346091		41,53,092
2	बेलदार	47	4900-10680 +1300 जी०पी०	847636		1,01,71,632
3	प्लमबर	1	5910-20200 +1900 जी०पी०	23488		2,81,856
4	टी/मेट	1	4900-10680 +1300 जी०पी०	18285		2,19,420
<b>योग</b>						<b>1,48,26,000</b>

**10.1 ₹0.02 लाख का दैनिक भौगी सफाई कर्मचारी को अधिक भुगतान:-**

वाउचर संख्या 22 दिनांक 4.3.2016 द्वारा श्रीमति सत्यावती, दैनिक भौगी सफाई कर्मचारी को माह 2/2016 हेतु ₹5,220/- (29 दिन x ₹180 प्रति दिन) का मजदूरी के रूप में भुगतान किया गया। नियमानुसार दैनिक भौगी कर्मचारियों को अवकाश के दौरान कोई भी मजदूरी देय नहीं है। जांच करने पर पाया गया कि उक्त कर्मचारी दिनांक 11.2.2016 से 21.2.2016 ( दिनांक 14.2.16 व 21.2.16 रविवार सहित) तक 11 दिन अवकाश पर थी। चर्चा के दौरान अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि कर्मचारी उक्त अवधि में मजदूरी सहित Annual Leave पर था जिसके लिये ₹1,980/- (11 दिन x ₹180 प्रति दिन) की मजदूरी का भुगतान किया गया। परन्तु हि०प्र० सरकार द्वारा दैनिक भौगी कर्मचारियों के लिये इस प्रकार का कोई भी अवकाश वेतन सहित देय नहीं

है। अतः अवधि 11.2.2016 से 21.2.2016 (11 दिन) तक भुगतान की गयी ₹1980 की मजदूरी के भुगतान बारे तथ्यों सहित वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाये व इसे न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा उचित स्रोत से वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये।

**11 ₹5.12 लाख के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान बारे:-**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि स्थापना खाता बही पृष्ठ-12 पर वर्ष 2015-16 के दौरान विभिन्न कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के रूप कुल ₹5,12,102 का भुगतान किया गया। उक्त दावों के भुगतान से पूर्व कर्मचारियों से "संयुक्त घोषणा पत्र" (यदि कर्मचारी की पति/पत्नी सरकारी/अर्ध-सरकारी/बोर्ड/कार्पोरेशन इत्यादि में कार्यरत है) तथा Medical Attendance Rules के अनुसार समय-2 पर "आश्रितों की सूची" प्राप्त की जानी अपेक्षित है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 02, दिनांक 18.1.2017 द्वारा उक्त प्रमाण पत्रों बारे सूचना मांगी गयी परन्तु वर्तमान अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुई। अतः अपेक्षित सूचना के अभाव में चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के उक्त भुगतान को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। अतः इस सम्बन्ध में उचित स्पष्टीकरण दिया जाये व सुनिश्चित किया जाये कि उक्त भुगतान नियमानुसार प्रमाण पत्र प्राप्त करके ही किया गया है। अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये।

**11.1 ₹0.01 लाख का चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे के रूप में अनियमित भुगतान:-**

चयनित माह 3/2016 में चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की जांच करने पर पाया गया कि विभिन्न कर्मचारियों को निम्न विवरणानुसार ₹1,246 का अनियमित भुगतान किया गया। अतः किए गए अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्रोत से करके कृत नुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये:-

क्रम सं०	वाउचर संख्या व दिनांक	कर्मचारी का नाम सर्वश्री	रोगी के साथ सम्बन्ध सर्वश्री	दवाई	राशि (₹)	टिप्पणी
1	50 14.3.16	रामकली, बेलदार	स्वयं	CT Scan	350	टेस्ट हेतु ₹1100 का भुगतान किया परन्तु ₹750 ही देय थे।
				Creatinine, Serum Test	55	टेस्ट हेतु ₹80 का भुगतान किया परन्तु ₹25 ही देय थे।
				Urea, Serum Test	57	टेस्ट हेतु ₹72 का भुगतान किया परन्तु ₹15 ही देय थे।

				Electrolytes Serum Test	55	टेस्ट हेतु ₹125 का भुगतान किया परन्तु ₹70 ही देय थे।
2	76 19.3.16	रंजन ठाकुर, बेलदार	स्वयं	Halovate Skin Lotion	152	देय नहीं
3.	76 19.3.16	राजेन्द्र शर्मा, व० सहायक	स्वयं	Terbicip cream	56	देय नहीं
4.	76 19.3.16	दीप चन्द, वर्क इंस्पेक्टर	कोमल, पुत्री	Power pil Merizyme Syrup	54 62	देय नहीं देय नहीं
5.	76 19.3.16	राज कुमार, वर्क इंस्पेक्टर	निर्मला, पत्नी	Rumalaya Tab.  Mentat Tab.  Geriforte Tab.	110  95 115	देय नहीं देय नहीं देय नहीं
6.	76 19.3.16	महेन्द्र सिंह, बेलदार	स्वयं	X ray	85	टेस्ट हेतु ₹100 का भुगतान किया परन्तु ₹15 ही देय थे।

कुल 1246

## 12 वाहन की लॉग बुक के सही रख-रखाव के अभाव में ₹0.23 लाख का अनियमित व्यय:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वर्ष 2015-16 में निर्माण मण्डल के वाहन जिप्सी एच०पी०-51-1245 का रख-रखाव सही प्रकार से नहीं किया गया था। लॉग बुक को अवधि 13.3.2015 से 26.5.2015 तक नहीं भरा गया था जबकि इस अवधि के दौरान वाहन द्वारा 1823 कि०मी० (58871-57048) की यात्रा की गयी जिसके लिए लगभग 346 लीटर पेट्रोल की खपत पर ₹23,016/- का व्यय हुआ। लॉग बुक को न भरना अनियमित ही नहीं अपितु आपत्तिजनक भी है जिससे उक्त यात्रा को उचित नहीं ठहराया जा सकता। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि वर्ष 2015-16 में प्रतिमाह वाहन की औसत (कि०मी०/प्रति लीटर) भी नहीं निकाली गयी थी तथा न ही यह सुनिश्चित किया गया था कि कुल व्यय में से कितना व्यय वाहन को अधिभारित (Charge) किया गया तथा कितना विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 15, दिनांक 31.1.2017 का मण्डल द्वारा कोई भी प्रतिउत्तर नहीं दिया गया जो कि आपत्तिजनक है। अतः उपरोक्त अनियमितताओं बारे तथ्यों सहित स्पष्टीकरण दिया जाये व अभिलेख को ठीक करके सक्षम अधिकारी से

सत्यापित करवाकर न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा उक्त पेट्रोल की खपत पर ₹23,016/- के व्यय की वसूली उचित स्रोत से करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये।

**13 ₹27.59 लाख का "सेवा कर" व "स्वच्छ भारत सेस" जमा न करना:-**

मण्डल की खाता बहियों में दिनांक 31.3.2016 तक ₹26,93,287 "सेवा कर" (Service Tax) व ₹66,160 "स्वच्छ भारत सेस" के रूप में जमा/क्रेडिट थी। यह राशियाँ नियमानुसार संविदाकारों के निर्माण कार्य बिलों काटी गई थीं। परन्तु उक्त राशियाँ संबन्धित विभागों को प्रेषित/भुगतान नहीं की गई थीं। इस बारे में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 08, दिनांक 27.1.2017 की अनुपालना में मण्डल द्वारा पत्र संख्या 3302, दिनांक 1.2.17 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त कटौतियों बारे त्रैमासिक आधार पर सूचना मुख्यालय, निगम विहार शिमला-02 को प्रेषित की जाती है तथा वहां से इन राशियों का प्रेषण/भुगतान किया जाता है। अतः सुझाव दिया जाता है कि मुख्यालय से भुगतान से संबन्धित सूचना प्राप्त करके मण्डल कार्यालय की खाता बहियों में उक्त लेखों का आवश्यक समायोजन सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना से तदानुसार अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

**14 ₹154.35 लाख की अग्रिम राशि का बिल/वाउचर के बिना समायोजन करना:-**

अंकेक्षण के दौरान वर्ष 2015-16 के सीमेंट/स्टील के स्टॉक अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि निर्माण मण्डल द्वारा निम्न विवरणानुसार ₹1,54,35,921/- का समायोजन विभिन्न फर्मों को प्रदान अग्रिम राशियों/क्रेडिट या उधार बिलों के विरुद्ध किया गया था। परन्तु समायोजन वाउचरों के साथ केवल मण्डल स्तर पर तैयार जी०आर० (Goods Receipt Sheets) संलग्न थीं जिनमें सीमेंट/स्टील की प्राप्त की गयी मात्रा व दर भरी गयी थी, जबकि आपूर्तिकर्ताओं के वास्तविक बिल इत्यादि संलग्न नहीं थे। परिणामस्वरूप जी०आर० में दर्शाई/भरी गयी सामग्री की मात्रा व दर का आपूर्तिकर्ताओं के बिलों से मिलान न हो सका। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 10, दिनांक 30.1.2017 के प्रतिउत्तर में मण्डल द्वारा पत्र संख्या 3304, दिनांक 1.2.2017 द्वारा तथ्यों को स्वीकारा गया। अतः वास्तविक बिलों के अभाव में सीमेंट से संबन्धित अग्रिम राशियों या स्टील से संबन्धित उधार क्रय का समायोजन करना अनियमित ही नहीं अपितु आपत्तिजनक भी है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी उक्त अनियमितता बारे आगाह किया गया था परन्तु मण्डल कार्यालय द्वारा इस सम्बन्ध कोई भी सुधार नहीं किया गया। अतः पाई गयी अनियमितता बारे तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट की जाये व अपेक्षित बिल इत्यादि आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित करें व भविष्य में उपरोक्त अनियमितता न दोहराई जाये:-

क्रम सं०	समायोजन वाउचर सं०	माह	आपूर्तिकर्ता	मद	मात्रा	राशि (₹)
1	9	4/2015	हि०प्र० नागरिक आपूर्ति निगम	सीमेंट	600 बैग	1,26,585
2	16	6/2015	साबू टोर स्टील लि०, काला अंब, सिरमौर	स्टील	27.66 एम०टी०	12,80,200
3	10	7/2015	हि०प्र० नागरिक आपूर्ति निगम	सीमेंट	3400 बैग	7,18,346
			साबू टोर स्टील लि०, काला अंब, सिरमौर	स्टील	29.34 एम०टी०	13,51,530
4	10	8/2015	हि०प्र० नागरिक आपूर्ति निगम	सीमेंट	2600 बैग	5,85,957
5	11	9/2015	साबू टोर स्टील लि०, काला अंब, सिरमौर	स्टील	37.115 एम०टी०	16,36,054
6	12	10/2015	हि०प्र० नागरिक आपूर्ति निगम	सीमेंट	4000 बैग	9,20,612
			साबू टोर स्टील लि०, काला अंब, सिरमौर	स्टील	19.885 एम०टी०	8,74,058
7	14	11/2015	हि०प्र० नागरिक आपूर्ति निगम	सीमेंट	3000 बैग	6,90,460
			साबू टोर स्टील लि०, काला अंब, सिरमौर	स्टील	9.075 एम०टी०	4,12,891
8	2	12/2015	हि०प्र० नागरिक आपूर्ति निगम	सीमेंट	1200 बैग	2,79,014
			साबू टोर स्टील लि०, काला अंब, सिरमौर	स्टील	35.43 एम०टी०	19,72,065
9	16	1/2016	हि०प्र० नागरिक आपूर्ति निगम	सीमेंट	3600 बैग	8,79,491
			साबू टोर स्टील लि०, काला अंब, सिरमौर	स्टील	21 एम०टी०	9,40,425
10	2	2/2016	हि०प्र० नागरिक आपूर्ति निगम	सीमेंट	4000 बैग	9,77,371
			साबू टोर स्टील लि०, काला अंब, सिरमौर	स्टील	2 एम०टी०	95,244
11	15	3/2016	हि०प्र० नागरिक आपूर्ति निगम	सीमेंट	2200 बैग	5,37,556
			साबू टोर स्टील लि०, काला अंब, सिरमौर	स्टील	27 एम०टी०	11,58,062
<b>योग</b>						<b>1,54,35,921</b>

**15 ₹9.40 लाख की स्टील के क्रय की दर संविदा की प्रति का अभिलेख में न पाया जाना:-**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि चयनित माह 3/2016 में भुगतान वाउचर संख्या 3, दिनांक 1.3.2016 द्वारा निम्न विवरणानुसार ₹9,40,430/- की स्टील का क्रय पुराने/समाप्त दर संविदा पर किया गया था जबकि आपूर्तिकर्ता द्वारा नए/लागू दर संविदा आने पर अधिक प्राप्त राशि को वापिस करने का आश्वासन दिया गया था। परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक नया/लागू दर संविदा की प्रति अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जिससे क्रय की गयी सामग्री को नियमित

ठहराया जा सके। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 14, दिनांक 31.1.2017 के प्रतिउत्तर में मण्डल द्वारा पत्र संख्या 3299, दिनांक 1.2.2017 द्वारा तथ्यों को स्वीकारा गया। अतः अंकेक्षण में अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे तथ्यों सहित पूर्ण स्थिति स्पष्ट की जाये व अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें:-

आपूर्तिकर्ता	बिल संख्या/दिनांक	स्टील	मात्रा (एम०टी०)	दर (प्रति एम०टी०)	राशि (₹)
साबू टोर स्टील लि०, त्रिलोकपुर रोड, काला अम्ब-173030	शून्य/23.1.2016 (Ref. No. 3312-15, dated 18.1.2016)	8 एम०एम०	12.000	43260	519120
		10 एम०एम०	4.000	42212	168848
		16 एम०एम०	5.000	41236	206180
				वैट 5%	44707
				पी०जी०टी @ ₹ 75 प्रति एम०टी०	1575
				<b>कुल जोड़</b>	<b>940430</b>

**16 वाउचर संख्या: 88, दिनांक 28.3.2016, ₹7,52,089/-**

कार्य का नाम:- C/O High School under RMSA at Jarkot (Chouhara), Distt. Shimla (SH: C/O Block of 2 Nos. class rooms i/c internal ws & si  
संविदाकार:- श्री संजीव कुमार  
अनुबन्ध संख्या:- 2 वर्ष 2011-12  
बिल:- तीसरा चलत बिल  
माप पुस्तिका:- 1804 पृष्ठ-15 से 24  
अनुमानित लागत:- ₹33,49,400

**16.1 ₹0.58 लाख संविदाकार के चलत बिलों से With-held न करना:-**

उपरोक्त कार्य के आबंटन पत्र संख्या: हिमुडा/ए-2(849)/2011-852-59, दिनांक 30.5.2011 की शर्त के अनुसार कार्य मद संख्या 35(a) Steel work welded in built up sections, trusses etc. In gratings, framed guard etc. के विरुद्ध ₹58,019/- दो बराबर किशतों में प्रथम व दूसरे चलत बिलों से with-held की जानी अपेक्षित थी। किन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस प्रकार की कोई भी राशि with-held नहीं की गयी थी। परिणामस्वरूप संविदाकार को उक्त राशि का अनुचित लाभ पहुंचाया गया। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 16, दिनांक 7.2.2017 का मण्डल द्वारा कोई भी प्रतिउत्तर नहीं दिया गया जो कि

आपत्तिजनक है। अतः इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाये व शीघ्र अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये।

**16.2 ₹0.20 लाख के सीमेंट की अनियमित प्रकार से अधिक खपत दर्शाना:-**

उपरोक्त कार्य के तीसरे चलत बिल तक संविदाकार को Contractor Ledger के पृष्ठ-281 व 282 पर निम्न विवरणानुसार केवल 1200 सीमेंट बैग ही जारी किए गए थे परन्तु उक्त वाउचर के साथ संलग्न खपत विवरणी में 1306 सीमेंट बैग की खपत दर्शाई गयी जिनकी मापन पुस्तिका 1804 पृष्ठ-23 पर ₹186 प्रति बैग की दर से ₹2,42,916 की संविदाकार से वसूली की गयी। अतः स्पष्ट किया जाए कि 1200 सीमेंट बैग के विरुद्ध 1306 बैग की खपत किस आधार पर की गयी। इससे स्पष्ट होता है कि वास्तव में 106 सीमेंट बैग (1306-1200) की खपत हुई ही नहीं है जिससे कार्य की गुणवत्तः पर सन्देह होता है। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 16, दिनांक 7.2.2017 का मण्डल द्वारा कोई भी प्रतिउत्तर नहीं दिया गया जो कि आपत्तिजनक है। अतः मामले की छानबीन करके अंकेक्षण को उचित स्पष्टीकरण दिया जाये तथा सीमेंट की खपत को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा 106 सीमेंट बैग की ₹186 प्रति बैग की दर से ₹19,716 की उचित स्रोत से वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये:-

इंडेंट संख्या	दिनांक	सीमेंट की जारी मात्रा
4663	1.8.13	300
4771	26.6.14	300
4777	8.9.14	300
4820	7.1.15	300
<b>कुल</b>		<b>1200</b>

**नोट:-** खपत विवरणी में उक्त मात्रा के अतिरिक्त इंडेंट संख्या 4785 दिनांक 3.3.2016 के द्वारा भी 300 सीमेंट बैग जारी किए दर्शाये गए थे तथा कुल जारी मात्रा 1500 सीमेंट बैग (1200+300) दर्शाई गयी थी। परन्तु जांच करने पर पाया गया कि इस इंडेंट के विरुद्ध वास्तव में कोई भी सीमेंट संविदाकार को जारी नहीं हुआ था।

**17 वाउचर संख्या 82, दिनांक 22.3.2016, ₹47,45,737/-**

कार्य का नाम:-	Residential Complex below BCS, Phase-II, Sector-IV, New Shimla H.P. (SH: C/O 12 Nos. Cat-II Flats, Block No. 50-A and 50B i/c Internal water supply, Sanitary installation, Rain water harvesting Tank and Dev. of site
संविदाकार:-	श्री अरुण कुमार
अनुबन्ध संख्या:-	27 वर्ष 2013-14
अनुमानित लागत:-	₹2,48,35,267/-

**17.1 ₹0.07 लाख का गलत गणना के कारण संविदाकार को अधिक भुगतान:-**

उपरोक्त निर्माण कार्य विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पांचवें, छठे व सातवें चलित बिलों में निम्न विवरणानुसार गलत गणना के कारण संविदाकार को ₹6,826 का अधिक भुगतान किया गया। अतः इस राशि की संविदाकार से शीघ्र वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये:-

क्रम सं०	माप पुस्तिका	पृष्ठ	चलत बिल/मद सं०	माप पुस्तिका में मात्रा	सही गणना अनुसार मात्रा	अन्तर	दर (₹)	अधिक भुगतान (₹)
1	1791/14	61	5वां/6.3	603.19 वर्ग मी०	590.30 वर्ग मी०	12.89 वर्ग मी०	250 प्रति वर्ग मी०	3223
2	1791/14	78	6ठा/6.4	1090.05 वर्ग मी०	1089.50 वर्ग मी०	0.55 वर्ग मी०	281 प्रति वर्ग मी०	155
3	1791/14	84	6ठा/19	70961.07 कि०ग्रा०	70909.26 कि०ग्रा०	51.81 कि०ग्रा०	58 प्रति कि०ग्रा०	3005
4	1825/15	82	7वां/67	92.90 वर्ग मी०	92.60 वर्ग मी०	0.30 वर्ग मी०	1475 प्रति वर्ग मी० (PR)	443
<b>योग</b>								<b>6826</b>

#### 17.2 विभागीय न्यायोचितता प्रस्तुत न करना:-

उपरोक्त वर्णित निर्माण कार्य की विस्तृत जांच हेतु दरों Rates की Final comparative-cum-justification statement प्रस्तुत नहीं की गयी जिसके अभाव में अंकेक्षण में उक्त संविदाकार की दरों की विभागीय Justification की दरों से तुलनात्मक जांच नहीं की जा सकी। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 17, दिनांक 7.2.2017 का मण्डल द्वारा कोई भी प्रतिउत्तर नहीं दिया गया जो कि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे उचित स्पष्टीकरण दिया जाये व इसे आगामी अंकेक्षण में आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

#### 18 वाउचर संख्या: 54 माह 3/2016 ₹16,78,863/-

कार्य का नाम:-	SFS at Theog, Distt. Shimla (SH C/O 12 Nos Flats i/c ws & si)
संविदाकार:-	श्री होशियार सिंह
अनुबन्ध संख्या:-	9 वर्ष 2013-14
बिल:-	11वां चलत बिल
माप पुस्तिका:-	1798 पृष्ठ-69 से 91
अनुमानित लागत:-	₹2,06,56,842/-

#### 18.1 ₹20.25 लाख का अतिरिक्त मिट्टी की ढुलाई हेतु भुगतान:-

अनुबन्ध की कार्य मद संख्या 5 (Extra for carriage of surplus excavated earth by mechanical transport including head load and dumping charges with all

leads & lifts) द्वारा अतिरिक्त मिट्टी की ढुलाई हेतु 11वें चलत बिल तक निम्न विवरणानुसार ₹20,25,323/- का भुगतान किया गया। परन्तु जांच करने पर पाया गया कि उक्त कार्य मद संख्या 1 (Cutting in earth work and disposal of all excavated unserviceable material in all leads & lifts including through mechanical transport) में पहले ही शामिल था। इस प्रकार मद संख्या 5 को निविदा में शामिल करना व संविदाकार को अतिरिक्त भुगतान करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 18 , दिनांक 8.2.2017 का मण्डल द्वारा कोई भी प्रतिउत्तर नहीं दिया गया जो कि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः इस बारे उचित स्पष्टीकरण दिया जाये व भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी संविदाकार से वसूली उपरान्त अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये:-

मद संख्या	माप पुस्तिका/ पृष्ठ	निष्पादित मात्रा घन मी०	दर प्रति घन मी०	राशि (₹)
5	1798/71	7364.81	275	20,25,323

18.2 ₹0.32 लाख का ब्रिक वर्क की कार्य मात्रा से होल्ड फास्ट के लिये बनाये गये सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक की कार्य मात्रा को कम न करने के फलस्वरूप अधिक भुगतान:-

उपरोक्त निर्माण कार्य में दरवाजों की फ्रेमों को लगाने के लिये आयरन के होल्ड फास्ट का प्रयोग व भुगतान किया गया। इन होल्ड फास्ट को लगाने हेतु 0.30x0.10x0.15एम०एम० के सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक बनाये गये थे जिन्हें लगाने हेतु अनुबन्ध की मद सं० 39 द्वारा 11वें चलत बिल तक माप पुस्तिका सं० 1798 पृष्ठ-79 पर कुल 1088 होल्ड फास्ट के लिये भुगतान किया गया था। परन्तु इन होल्ड फास्ट हेतु डाली गयी सी०सी० ब्लॉक को माप पुस्तिका सं० 1798 पृष्ठ-76 में मद सं०23 वस्तुतः ब्रिक वर्क से नहीं घटाया गया था जिसके परिणामस्वरूप निम्न गणना अनुसार संविदाकार को ₹31,850/- का अधिक भुगतान किया गया। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 18 , दिनांक 8.2.2017 का मण्डल द्वारा कोई भी प्रतिउत्तर नहीं दिया गया जो कि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः संविदाकार को ₹31,850/- के किये गये अधिक भुगतान बारे उचित स्पष्टीकरण दिया जाये व इसे न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी संविदाकार से वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये:-

चलत बिल	माप पुस्तिका सं०	ब्रिक वर्क की कार्य मात्रा जो दो बार भुगतान की गयी (घन मी०)	दर प्रति घन मी० (₹)	अधिक भुगतान (₹)
------------	------------------------	---	---------------------------	-----------------------

11वां	1798	1088x0.30x0.10x0.15=4.90	6500	31850
-------	------	--------------------------	------	-------

### 18.3 ₹0.03 लाख का “वायर गेज शटर” मद में अधिक भुगतान:-

अनुबन्ध की कार्य मद संख्या: 33 (P/F 40mm thick paneled door shutters made of 2<sup>nd</sup> Class deodar wood) में लकड़ी के दरवाजे लगाये गए। इसके साथ मद संख्या 35 (P/F Wire guage shutters using galvanized MS wire guage) में जाली के दरवाजे भी लगाये गए। परन्तु लकड़ी के दरवाजों के साथ लगाये गए जाली के दरवाजों का आकार भिन्न/अधिक था जो कि उचित प्रतीत नहीं होता। दोनों प्रकार के दरवाजों का आकार एक समान होना चाहिए था। अतः आकार में पाई गयी भिन्नता/अधिकता बारे तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट की जाये व इसे न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा निम्न विवरणानुसार ₹3,360/- के अधिक भुगतान की वसूली उचित स्रोत से करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये:-

माप पुस्तिका संख्या/पृष्ठ	लकड़ी के दरवाजे का आकार (मद संख्या 33)	जाली के दरवाजे का आकार (मद संख्या 35)	अन्तर
1797/88 & 89	Main Door (D) 1x0.94x1.98=1.86 sqm	Main Door (D) 1x0.96x2.02=1.94 sqm	0.08 sqm
1798/77 & 78	Door (DW) 2x0.80x1.96=3.14 sqm	Door (DW) 2x0.80x1.99=3.18 sqm	0.04 sqm
	Door (D2) 1x0.80x1.95=1.56 sqm	Door (D2) 1x0.80x1.99=1.59 sqm	0.03 sqm
		Total	0.15 sqm
		Qty for 8 flats (0.15x8)	1.20 sqm
		Rate of Wire guage shutters Rs. 3200 (Part Rate Rs. 2800 per sqm paid (1.20x2800))  Hence excess paid	Rs. 3360

### 19 वाउचर संख्या: 114, दिनांक 30.3.2016, ₹20,09,536/-

कार्य का नाम:- Commercial Complex Near Vikas Nagar, Shimla H.P. (SH: C/O Road and drainage system)  
संविदाकार:- श्री विशाल ठाकुर  
अनुबन्ध संख्या:- 12 वर्ष 2014-15  
बिल:- तीसरा चलत बिल  
माप पुस्तिका:- 1826 पृष्ठ-23 से 30  
आवंटन लागत:- ₹3,47,55,219/-

### 19.1 2.93 लाख का अतिरिक्त मद में संभावित अधिक भुगतान:-

उपरोक्त कार्य हेतु अतिरिक्त मद [Extra Item:- Providing and laying cement concrete 1:3:6 (1 cement: 3 sand: 6 graded stone aggregate of 20mm nominal size) and curing complete excluding cost of form work in foundation and plinth] का निष्पादन किया गया। जांच करने पर पाया गया कि उक्त मद हेतु अधिक भुगतान दर निर्धारित की गयी प्रतीत होती है जिसके समर्थन में अपेक्षित Analysis

of Rate सन्दर्भ हेतु परिशिष्ट-"झ" पर संलग्न है। परिणामस्वरूप छोटे चलत बिल तक 302 घन मी० की निष्पादित कार्य मात्रा पर ₹2,92,940/- का संभावित अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है जिसका विवरण नीचे दिया गया है। इसके अतिरिक्त Himachal Pradesh Housing and Urban Development Authority, Nigam Vihar, Shimla-171002 HIMUDA-Saving/Misc./2004, दिनांक 27.12.2014 के अनुसार अतिरिक्त व प्रतिस्थापित मदों का निष्पादन सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति एवं दर अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा। परन्तु उक्त अतिरिक्त मद के निष्पादन की पूर्व स्वीकृति एवं अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था। उपरोक्त बिन्दुओं पर तथ्यों सहित पूर्ण स्थिति स्पष्ट करने हेतु जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 20, दिनांक 8.2.2017 का मण्डल द्वारा कोई भी प्रतिउत्तर नहीं दिया गया जो कि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः ₹2,92,940/- के संभावित अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी संविकार से वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये:-

भुगतान दर	अपेक्षित भुगतान दर	अन्तर (घन मी०)	छोटे चलत बिल तक निष्पादित मात्रा (घन मी०)	माप पुस्तिका संख्या/पृष्ठ	संभावित अधिक भुगतान (₹)
3400 प्रति घन मी० (PR)	2430 प्रति घन मी० (PR)	970 प्रति घन मी०	302 घन मी०	1826/87	2,92,940

**20 वाउचर संख्या: 82 दिनांक 22.3.2016, ₹47,45,737/-**

कार्य का नाम:-	Residential Complex below BCS Phase-II, Sector-4 New Shimla (SH: C/O 12 Nos Flats, Cat-II, Block No. 50-A and 50-B)
संविदाकार:-	श्री अरुण कुमार
अनुबन्ध संख्या:-	27 वर्ष 2013-14
बिल:-	7वां चलत बिल
माप पुस्तिका:-	1825 पृष्ठ-63 से 89
आवंटित लागत:-	₹3,13,64,526/-

**20.1 ₹0.14 लाख का ब्रिक वर्क की कार्य मात्रा से होल्ड फास्ट के लिये बनाये गये सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक की कार्य मात्रा को कम न करने के फलस्वरूप अधिक भुगतान:-**

उपरोक्त निर्माण कार्य में दरवाजों की फ्रेमों को लगाने के लिये आयरन के होल्ड फास्ट का प्रयोग व भुगतान किया गया। इन होल्ड फास्ट को लगाने हेतु 0.30x0.10x0.15म०एम० के सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक बनाये गये थे जिन्हें लगाने हेतु अनुबन्ध की मद सं० 39 द्वारा 7वें चलत बिल तक माप पुस्तिका सं० 1825 पृष्ठ-78 पर कुल 584 होल्ड फास्ट के लिये भुगतान किया गया था। परन्तु इन होल्ड फास्ट हेतु डाली गयी सी०सी० ब्लॉक को माप पुस्तिका सं० 1825 पृष्ठ-74 में मद सं० 23 वस्तुतः ब्रिक वर्क से नहीं घटाया गया था जिसके परिणामस्वरूप निम्न गणना अनुसार संविदाकार को ₹14,465/- का अधिक भुगतान किया गया था:-

चलत बिल	माप पुस्तिका सं०	ब्रिक वर्क की कार्य मात्रा जो दो बार भुगतान की गयी (घन मी०)	दर प्रति घन मी० (₹)	अधिक भुगतान (₹)
7वां	1825	584x0.30x0.10x0.15=2.63	5500	14465

इस प्रकार संविदाकार को ₹14,465/- के किये गये अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्रोत से करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

**21 वाउचर संख्या: 112 दिनांक 29.3.2016, ₹27,811/-**

कार्य का नाम:-	Repair & maintenance of Sub-Jail, Kaithu, Distt. Shimla H.P. (SH: Providing drain for disposal of water from chamber to existing MC line)
संविदाकार:-	श्री प्रवीण कुमार
अनुबन्ध संख्या:-	5 वर्ष 2015-16
बिल:-	7वां चलत बिल
माप पुस्तिका:-	1742/12 पृष्ठ-86 से 94
आवंटित लागत:-	₹29,787

उपरोक्त कार्य के आबंटन पत्र संख्या HIMUDA/A/B Award/2014/15-1340-50, दिनांक 14.7.2015 की शर्तानुसार संविदाकार एवं मण्डल के अधिशाषी अभियन्ता के बीच 15 दिनों के अन्दर यानि 29.7.2015 तक स्टैम्प पेपर पर "कार्य अनुबन्ध" किया जाना आवश्यक था ताकि अनुबन्ध को कानूनी रूप दिया जा सके। परन्तु उपरोक्त कार्य दिनांक 7.8.2015 को पूर्ण हो चुका था जबकि अनुबन्ध इसके पश्चात दिनांक 8.9.2015 को किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि कार्य पूर्ण होने के पश्चात अनुबन्ध केवल खाना-पूर्ति के लिए किया था जो कि अनियमित ही नहीं अपितु गम्भीर आपत्तिजनक भी है। अतः इस सम्बन्ध में तथ्यों

सहित वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाये व साथ ही यह मामला हिमुडा के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है ताकि भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृत्ति न हो।

**22 वाउचर संख्या: 106 दिनांक 29.3.2016, ₹10,63,567/-**

कार्य का नाम:- C/O PSFS at Sanjouli, Phase-III, Shimla (C/O 12 Nos. Cat-II Flats)  
 संविदाकार:- मै० हिम इंजीनियर  
 अनुबन्ध संख्या:- 19 वर्ष 2012-13  
 बिल:- 8वां चलत बिल  
 माप पुस्तिका:- 1780 पृष्ठ-63 से 85  
 अनुमानित लागत:- ₹2,32,81,238

**22.1 ₹0.04 लाख का गलत गणना के कारण संविदाकार को अधिक भुगतान:-**

उपरोक्त निर्माण कार्य की माप पुस्तिका संख्या 1783/8 में मद संख्या 5 (Providing tor steel) की कार्य मात्रा की गलत गणना के कारण संविदाकार को ₹3,860 का अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण नीचे दिया गया है। अतः अधिक भुगतान की वसूली संविदाकार से करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये:-

स्टील	मात्रा (Rmt में)	लगाया गया फैक्टर	वास्तविक फैक्टर	अन्तर	अधिक भुगतान मात्रा (कि०ग्रा० में)	दर प्रति कि०ग्रा०	अधिक भुगतान (₹)
8	14846.78	0.395	0.39	0.005	74.24 (14846.78×0.005)	52	3,860
एम०एम०							

**22.2 कार्य अनुबन्ध" प्रस्तुत न करना:-**

उपरोक्त कार्य के आबंटन पत्र संख्या HIMUDA/A-2/(885)/2012-3302-09, दिनांक 21.12.2012 की शर्तानुसार संविदाकार एवं मण्डल के अधिशाषी अभियन्ता के बीच 15 दिनों के अन्दर यानि 5.1.2013 तक स्टैम्प पेपर पर "कार्य अनुबन्ध" किया जाना आवश्यक था। परन्तु ऐसा कोई अनुबन्ध न तो अंकेक्षण को प्रस्तुत अभिलेख में पाया गया तथा न ही अंकेक्षण की समाप्ति तक प्रस्तुत किया गया। अतः इस बारे उचित स्पष्टीकरण दिया जाये व उक्त अनुबन्ध आवश्यक पुष्टि हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाये।

23 आर०आर० मैसनरी की कार्य मात्रा से वीप होल्स की कटौती न करने के कारण संविदाकार को ₹0.25 लाख का अधिक भुगतान:-

निम्न निर्माण कार्यों के चलत बिलों में अनुबंध की मद "P/F 100 mm पी०वी०सी० पाईप इन वीप होल्स" की कार्य मात्रा की जाँच करने पर पाया गया कि अनुबंध की मद "आर०आर० मैसनरी" के भुगतान के समय वीप होल्स में प्रयोग 100mm पी०वी०सी० पाईप के आयतन की कटौती नहीं की गई थी। आर०आर० मैसनरी के भुगतान के समय आर०आर० मैसनरी की देय मात्रा में से 100mm पी०वी०सी० पाईप के आयतन के बराबर की कार्य मात्रा की कटौती की जानी अपेक्षित थी। परिणामस्वरूप संविदाकार को कुल ₹24,540 का अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्न दिया गया है। अतः अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इसकी वसूली उचित माध्यम/संविदाकार से की जानी सुनिश्चित की जाए:-

क्रम सं०	वाउचर संख्या व दिनांक एवं माप पुस्तिका	राशि (₹)	कार्य का नाम	चलत बिल	वीप होल की भुगतान मात्रा (100 एम०एम० dia)	आर०आर० मैसनरी की दो बार भुगतान मात्रा (घन मी०)	आर०आर० मैसनरी की दर प्रति घन मी० (₹)	अधिक भुगतान (₹)
1.	54, दिनांक 14.3.16/ माप पुस्तिका 1798 पृष्ठ-87, मद सं० 94	16,78,863	SFS at Theog, Distt. Shimla	11वां	769.29 Rmt	22/7x0.05x 0.05x769.29 =6.04	3150	19026
2	114, दिनांक 30.3.16/ माप पुस्तिका 1826 पृष्ठ-29, मद सं० 17	20,09,536	Commercial Complex Vikasnagar, Shimla-09	तीसरा	88.35 Rmt	22/7x0.05x 0.05x88.35 =0.693	2700	1872
3	82, दिनांक 22.3.16/ माप पुस्तिका 1825/15 पृष्ठ-83, मद सं० 94	47,45,737	Residential Complex below BCS Phase-II, Sector-IV, New Shimla	7वां	154.54 Rmt	22/7x0.05x 0.05x154.54 =1.214	3000	3642

योग 24540

24 निष्पादित निर्माण कार्यों की विभिन्न मदों की मात्रा में ₹96.74 लाख का बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से विचलन (Deviation):-

Himachal Pradesh Housing And Urban Development Authority, Nigam Vihar, Shimla-171002 के पत्र संख्या: HIMUDA-Saving/Misc./2004 दिनांक 27.12.2004 के अनुसार “Deviation wherever eminent on account of unforeseen circumstances, the same be only executed after obtaining written prior approval of the competent authorities” निर्माण कार्यों से संबन्धित विभिन्न चलित बिलों की पड़ताल करने पर पाया गया कि अनेक मदों का कार्य निर्धारित विचलन की प्रतिशतता से कहीं अधिक अनियमित रूप से सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना निष्पादित करवाया गया था। जबकि उपरोक्त पत्र के द्वारा जारी निर्देशों अनुसार कार्य निष्पादन से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य था। इस प्रकार के कुछ प्रकरणों का ब्यौरा नीचे दिया गया है। अनुबंध में निर्धारित कार्य मात्रा से ₹96,73,929/- की अत्याधिक मात्रा का कार्य बिना स्वीकृति प्राप्त किए ही करवाया जाना एक गंभीर अनियमितता है। यद्यपि इस प्रकार की आपत्तियाँ पूर्व में भी उठाई गई थी, परन्तु इस संबंध में कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। अतः इस गंभीर त्रुटि का आवश्यक समाधान एवं दिशा निर्देशों जारी किए जाने हेतु उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है: -

क्र.स.	कार्य मद संख्या व संक्षिप्त नाम	माप पुस्तिका/पृ.सं.	घन मी०/वर्ग मी०/कि० ग्राम इत्यादि	अनुबंध अनुसार कार्य मात्रा	निष्पादित कार्य मात्रा	भुगतान दर प्रति घन मी०/वर्ग मी० इत्यादि	अधिक मात्रा	किया गया भुगतान (₹)	अधिक प्रतिशत
1	C/O High School under RMSA at Jarkot (Chhauhara), Distt. Shimla, 3 <sup>rd</sup> Running Bill								
	1. Cutting in earth work	1804/16	cum	253.8	1271.4	135	1017.6	137376	400.95%
	2. Excavation in Foundation, trenches etc.	1804/16	cum	87.56	229.51	220	141.95	31229	162.12%
	5(b)(i) Form Work: Flat surfaces	1804/17	sqm	395.05	563.99	225	168.94	38012	42.76%
	5(c) Form Work: Beams, cantilevers	1804/17	sqm	264.17	283.97	200	19.8	3960	7.50%
	5(d)(i) Form Work: Column, pillars	1804/18	sqm	248.4	257.38	210	8.98	1886	3.62%
	5(d)(ii) Form	1804/18	sqm	9.42	34.28	300	24.86	7458	263.91%

	Work: Column, pillars								
	10(b) P/L CC having M-20:- Suspended floor	1804/19	cum	72.26	94.6	5000	22.34	111700	30.92%
	10(c) P/L CC having M-20:- Column, pillars	1804/19	cum	16.7	27.23	5200	10.53	54756	63.05%
	13. Brick Work in superstructure in 1:6	1804/20	cum	48.06	71.53	5500	23.47	129085	48.83%
2	SFS at Theog, Distt. Shimla (SH: C/O 12 Nos Cat-II Flats i/c internal WS & SI), 11th Running Bill								
	1. Cutting in earth work	1798/69	cum	4788.86	7106.56	200	2317.7	463540	48.40%
	2. Excavation in Foundation, trenches etc.	1798/70	cum	671.55	1137.76	310	466.21	144525	69.42%
	3. Extra for carriage of surplus excavated earth by machanical transport i/c head load & dumping charges with all leads & lifts	1798/71	cum	4122.14	7364.81	275	3242.67	891734	78.66%
	7(b)(i) Pdg. Form work in flat surfaces, floors etc.	1798/72	sqm	1020.7	1441.24	250	420.54	105135	41.20%
	7(c) Pdg. Form work in column, pillars	1798/72	sqm	841.28	929.77	220	88.49	19468	10.52%
	7(d) Pdg. Form work in beams, cantilevers	1798/72	sqm	740.74	897.48	220	156.74	34483	21.16%
	7(g) Pdg. Form work in beams, cantilevers	1798/72	sqm	122.88	205.13	170	82.25	13983	66.94%

8. P/L CC 1:2:4 in foundation & plinth	1798/73	cum	0.86	5.56	5500	4.7	25850	546.51%
9. P/L CC 1:4:8 in foundation & plinth, breast & retaining wall	1798/73	cum	5.9	197.16	4200	191.26	803292	3241.69%
11. P/L CC 1:6:12 in foundation & plinth	1798/73	cum	152.97	165.79	2950	12.82	37819	8.38%
17(b) P/L CC having strength M-20 mixed in suspended floors	1798/74	cum	168.4	285.94	6000	117.54	705240	69.80%
17(c) P/L CC having strength M-20 mixed in column & pillars	1798/74	cum	70.02	81.97	6000	11.95	71700	17.07%
23. Brick work in superstructure	1798/76	cum	150.96	156.89	6500	5.93	38545	3.93%
25. Half brick masonry in superstructure	1798/76	sqm	245.61	880.04	800	634.43	507544	258.31%
28. RR masonry in foundation & plinth	1798/76	cum	1023.72	1968.15	2900	944.43	2738847	92.25%
57. P/L Glazed tiles in skirting, risers of steps etc.	1798/82	sqm	372.6	420.78	850	48.18	40953	12.93%
58. P/F 0.60mm thick pre-painted steel sheet in roofing	1798/82	sqm	435.53	458.49	1100	22.96	25256	5.27%
68. steel work in gratings, framed guard,	1798/85	Qtls	33.91	46.8	9000	12.89	116010	38.01%

	bars								
	73. P/F moulded hand rail of MS hollow pipe	1798/86	Rmt	89.91	239.8	180	149.89	26980	166.71%
	80. 6mm cement plaster to ceiling	1798/86	sqm	775.46	1439.27	100	663.81	66381	85.60%
	82. 15mm cement plaster on fair side of brick,concrete	1798/86	sqm	16.8	315.91	140	299.11	41875	1780.42%
	82. 15mm cement plaster on fair side of brick,concrete, stone wall	1798/87	sqm	848.32	1208.64	130	360.32	46842	42.47%
	87. Extra over item plastering with a coat of cement slurry	1798/87	sqm	80.72	315.91	30	235.19	7056	291.37%
3	C/O PSFS at Sanjauli, Phase-III, Shimla (SH: C/O 12 Nos. Cat-II Flats), 8th Running Bill								
	5(b). Providing Form work: Flat surfaces	1780/65	sqm	1389.7	1806.28	200	416.58	83316	29.98%
	5(d). Providing Form work: Column, pillar	1780/66	sqm	920.25	1222.13	200	301.88	60376	32.80%
	5(e). Providing Form work: Beams, cantilivers	1780/67	sqm	1320.24	1463.83	200	143.59	28718	10.88%
	5(g). Providing Form work: Edges of slab	1780/67	Rmt	296.1	698.2	30	402.1	12063	135.80%
	7. P/L CC 1:4:8 in foundation & plinth	1780/68	cum	49.46	56.61	2800	7.15	20020	14.46%
	12(a). P/L CC having strength of M-20 mixed in foundation,	1780/68	cum	82.83	119.14	5000	36.31	181550	43.84%

	footings								
	12(c). P/L CC having strength of M-20 mixed in suspended floors	1780/69	cum	321.08	355.32	5000	34.24	171200	10.66%
	12(d). P/L CC having strength of M-20 mixed in column, pillar	1780/69	cum	83.23	109.36	5000	26.13	130650	31.39%
	13. P/L CC having strength of M-20 mixed in for reinforced cc, chhajas	1780/70	cum	5.23	12.16	11000	6.93	76230	132.50%
	28. Stone behind retaining wall	1780/72	cum	206.05	227.18	500	21.13	10565	10.25%
4	Residential Complex below BCS, Phase-II, Sector-IV, New Shimla (SH: C/O 12 Nos. Cat-II Flats)								
	1. Cutting in earth work	1825/64	cum	2156.34	3176.57	580	1020.23	591733	47.31%
	2. Excavation in Foundation, trenches etc.	1825/64	cum	562.86	603.34	250	40.48	10120	7.19%
	6.3 Providing Form work in column, pillar, posts	1825/66	sqm	813.7	1014.55	250	200.85	50213	24.68%
	7. P/L CC 1:4:8 in foundation & plinth	1825/68	cum	34.04	38.52	3000	4.48	13440	13.16%
	16.3 P/L CC having strength of M-20 in column, pillar, posts	1825/71	cum	68.84	84.41	5200	15.57	80964	22.62%
	22. Brick work in foundation and plinth	1825/73	cum	11.62	27.19	5400	15.57	84078	133.99%
	28. RR masonry in foundation &	1825/75	cum	337.49	524.56	2975	187.07	556533	55.43%

plinth									
30. Stone filling behind retaining walls	1825/75	cum	283.01	306.65	1000	23.64	23640	8.35%	
<b>Total</b>								<b>9673929</b>	

**25 निर्माण कार्यों में लकड़ी की कार्य मदों पर ₹29.72 लाख के भुगतान से पूर्व संविदाकार के खरीद बिलों की पुष्टि न करना:-**

अनुबन्ध की General specification & conditions संख्या: 13 में वर्णित शर्त के अनुसार “The contractor shall have to purchase the timber to be used on works from an authorized dealer/agency and he would produce necessary receipts/vouchers as a proof before releasing the payment of the wood work”. परन्तु निम्न वर्णित निर्माण कार्यों के लिए प्रयोग में लाई गयी लकड़ी की खरीद के सम्बन्ध में संविदाकार के बिल इत्यादि अंकेक्षण में पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जबकि लकड़ी की कार्य मदों पर संविदाकार को ₹29,71,765 का भुगतान किया गया था। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 19 , दिनांक 8.2.2017 का मण्डल द्वारा कोई भी प्रतिउत्तर नहीं दिया गया जो कि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः इस बारे तथ्यों सहित पूर्ण स्पष्टीकरण दिया जाये व अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये:-

Sr. No.	Vr. No. & Date	Amount	Name of Work	R/Bill	No. & Name of Item executed	Qty. executed	Rate of wood P/cum or sqm	Total amount (₹)
1	54 14.3.16	1678863	C/O SFS at Theog	11 <sup>th</sup> R/Bill	Item No. 32. Providing wood work in frames of doors, windows 2 <sup>nd</sup> class deodar wood	13.276 cum	85000	11,28,460
					Item No. 33. P/F panelled door shutters 2 <sup>nd</sup> class deodar wood	124.80 sqm	3200 (PR)	3,99,360
					Item No. 34. P/F	102.48	2500	2,56,200

					single/double leaf glazed window shutter 2 <sup>nd</sup> class deodar wood	sqm	(PR)	
2	82 22.3.16	4745737	Residential complex below BCS Phase-II Sector-IV	7 <sup>th</sup> R/Bill	Item No. 32. Providing wood work in frames of doors, windows 2 <sup>nd</sup> class deodar wood	12.611 cum	83000 (PR)	10,46,713
					Item No. 33. P/F panelled door shutters 2 <sup>nd</sup> class deodar wood	21.84 sqm	2300 (PR)	50,232
					Item No. 34. P/F single/double leaf glazed window shutter 2 <sup>nd</sup> class deodar wood	45.40 sqm	2000 (PR)	90,800
<b>Total</b>								<b>29,71,765</b>

**26. ₹4.36 लाख की प्रतिभूति का संविदाकार को अनियमित भुगतान:-**

वाउचर संख्या: 81 दिनांक 22.3.2016 द्वारा श्री ज्ञान सिंह राजा, संविदाकार को "निर्माण कार्य मशरूम यूनिट, दत्तनगर, रामपुर, हि०प्र०" के 11वें चलत बिल तक काटी गई प्रतिभूति (Security) का लगभग 75% भाग यानि ₹4,36,164 का वापिस भुगतान किया गया। CPWD Manual, Volume II के नियम 23.4 के अनुसार यदि कार्य के अन्तिम बिल के भुगतान में विलम्ब हो तो संभावित वसूलियों को ध्यान में रखते हुए संविदाकार को प्रतिभूति की अधिकतम राशि वापिस की जा सकती है। परन्तु उक्त कार्य के 12वें एवं अन्तिम बिल से संबन्धित कोई भी अभिलेख अंकेक्षण की समाप्ति तक उप-मण्डल ठियोग से मण्डल कार्यालय में प्राप्त ही नहीं हुआ था तथा न ही संभावित वसूलियों इत्यादि की गणना की गई थी। इस प्रकार उपरोक्त त्रुटियों/अधूरे कार्य के बीच प्रतिभूति को वापिस करना अनियमित ही नहीं अपितु अपत्तिजनक भी है। इससे स्पष्ट होता है कि संविदाकार को उक्त राशि का अनुचित लाभ पहुंचाया गया। अतः पाई गई अनियमितता बारे तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट की जाए व इसे न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा उक्त राशि की संविदाकार से वसूली करके प्रतिभूति खाते में जमा रखा जाये व नियमानुसार ही वापसी सुनिश्चित की जाये। कृत अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये।

**27 ₹0.95 लाख की स्टील को Contractor Ledger में दर्ज न करना:-**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि जी०आर० संख्या 229 दिनांक 25.2.2016 द्वारा निर्माण कार्य C/O High School under (RAMSA) at Nagan, Kotkhai से कार्य पूर्ण होने के पश्चात ₹95,244/- मूल्य की 2.00 एम०टी०

स्टील संविदाकार श्री हरी भूषण से वापिस प्राप्त हुई जिसका विवरण नीचे दिया गया है। परन्तु उक्त सामग्री को Contractor Ledger में दर्ज नहीं किया गया था जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि संविदाकार को समय-2 पर कुल कितनी स्टील जारी की गयी तथा संविदाकार द्वारा शेष बची कितनी स्टील वापिस की जानी अपेक्षित थी। अतः पाई गयी त्रुटि बारे स्पष्टीकरण दिया जाये तथा उक्त स्टील की Contractor Ledger में शीघ्र प्रविष्टि दर्ज करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये:-

स्टील	मात्रा (एम०टी ०)	दर (प्रति एम०टी०)	राशि (₹)
10 एम०एम०	0.300	47890	14,367
12 एम०एम०	0.750	47575	35,681
20 एम०एम०	0.950	47575	45,196
<b>कुल</b>	<b>2.00</b>		<b>95,244</b>

**28 निर्माण कार्यों का निर्धारित अवधि में पूर्ण न किया जाना:-**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न निर्माण कार्यों को निर्धारित अवधि के 2 वर्षों के पश्चात भी पूर्ण नहीं किया गया था, जिससे एक और निर्माण कार्यों की लागत में अनावश्यक वृद्धि होती है साथ ही दूसरी और विभाग की कार्य प्रणाली पर भी प्रभाव पड़ता है। यद्यपि निर्माण कार्यों की निर्धारित समय अवधि पूर्ण होने के उपरांत औपचारिक समय बढ़ोतरी भी प्रदान की जाती है परन्तु औपचारिक समय बढ़ोतरी करने से निर्माण लागत में भी बढ़ोतरी होती है अतः ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए कि निर्माण कार्यों को निर्धारित समय अवधि में पूर्ण किया जा सके, जिससे निर्माण कार्यों की लागत में अनावश्यक वृद्धि न होने पाये। निर्धारित समय अवधि में पूर्ण न किए गए कुछेक निर्माण कार्यों का विवरण निम्न दिया गया है। यह मामला/प्रकरण आवश्यक एवं उचित कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ लाया जाता है:-

Sr. No.	Name of Work	Agreement No.	Estimated cost of work	Date of Start as per Agreement	Date of Completion as per agreement	Status as on 31.3.2016
1	C/O High School under RMSA at Jarkot (Chhauhara), Distt. Shimla	2 of 2011-12	33,49,400	14.6.11	13.6.12	Work in progress
2	C/O PSFS at Sanjauli, Phase-III, Shimla (C/O 12 Nos. Cat-II Flats)	19 of 2012-13	2,32,81,238	5.1.13	4.7.14	Work in progress
3	SFS at Theog, Distt. Shimla (SH C/O 12 Nos Flats i/c ws & si)	9 of 2013-14	2,06,56,842	21.10.13	20.10.15	Work in progress

4	Commercial Complex Near Vikasnagar, Shimla-9 H.P. (SH: C/O Road and drainage system)	12 of 2014-15	3,23,060	20.3.15	19.9.16	Work in progress
5	Residential Complex below BCS Phase-II, Sector-IV New Shimla (SH: C/O 12 Nos. Cat-II Flats Block 50 A & B)	27 of 2013-14	2,48,35,267	18.3.14	17.9.15	Work in progress

29. लघु आपत्ति विवरणिका:- यह अलग से जारी नहीं कि गई है क्योंकि लघु आपत्तियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान कर लिया गया।

30. निष्कर्ष :-लेखाओं के रख रखाव में और सुधार की अति आवश्यकता है।

हस्ता /-  
(सतपाल सिंह)  
उप निदेशक,  
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,  
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.  
फोन नं0 0177-2620881

पृष्ठांकन संख्या:- फिन(एल0ए0)एच(2) सी (15)(14) 123/88 खण्ड-16-4679-4681 ,  
दिनांक-26-07-17, शिमला-171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

- पंजीकृत**
- 1 अधिशासी अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल-1 शिमला-09 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
  - 2 अतिरिक्त मुख्य सचिव (आवास) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-171002
  - 3 सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निगम बिहार शिमला-171002

हस्ता /-  
(सतपाल सिंह)  
उप निदेशक,  
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,  
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.  
फोन नं0 0177-2620881

अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या: 1(ग) में सन्दर्भित

(ए) हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के निर्माण मण्डल-1, शिमला-171009 के लेखों अवधि 4/1995 से 3/2015 तक के अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनिर्णीत पैरों का विवरण

---

(ए) अनिर्णीत पैरों के अंकेक्षण प्रतिवेदन का विवरण

(1) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1995 से 3/1996

- |            |          |
|------------|----------|
| 1) पैरा 23 | अनिर्णीत |
| 2) पैरा 28 | अनिर्णीत |
| 3) पैरा 43 | अनिर्णीत |

(2) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1996 से 3/1997

- |               |          |
|---------------|----------|
| 1) पैरा 12(च) | अनिर्णीत |
|---------------|----------|

(3) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1998 से 3/1999

- |               |          |
|---------------|----------|
| 1) पैरा 50    | अनिर्णीत |
| 2) पैरा 51(क) | अनिर्णीत |
| 3) पैरा 51(ख) | अनिर्णीत |

(4) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2000 से 3/2001

- |            |          |
|------------|----------|
| 1) पैरा 9  | अनिर्णीत |
| 2) पैरा 11 | अनिर्णीत |
| 3) पैरा 30 | अनिर्णीत |
| 4) पैरा 31 | अनिर्णीत |

**(5) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2001 से 3/2002**

- 1) पैरा 13(1) अनिर्णीत
- 2) पैरा 13(2) अनिर्णीत
- 3) पैरा 14(1) अनिर्णीत
- 4) पैरा 14(2) अनिर्णीत
- 5) पैरा 33 अनिर्णीत

**(6) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2002 से 3/2003**

- 1) पैरा 10 अनिर्णीत

**(7) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2003 से 3/2004**

- 1) पैरा 15(ख) अनिर्णीत
- 2) पैरा 15(ग) अनिर्णीत
- 3) पैरा 21 अनिर्णीत
- 4) पैरा 23(क) अनिर्णीत
- 5) पैरा 23(ख) अनिर्णीत

**(8) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2004 से 3/2005**

- 1) पैरा 9(क) अनिर्णीत
- 2) पैरा 9(ख) अनिर्णीत
- 3) पैरा 10(क) अनिर्णीत
- 4) पैरा 26 अनिर्णीत
- 5) पैरा 30 अनिर्णीत

**(9) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2005 से 3/2006**

- 1) पैरा 9(3) अनिर्णीत
- 2) पैरा 12(2) अनिर्णीत
- 3) पैरा 14 अनिर्णीत

4) पैरा 18 अनिर्णीत

5) पैरा 19 अनिर्णीत

**(10) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2006 से 3/2007**

1) पैरा 15 अनिर्णीत (15(क) के अतिरिक्त शेष भाग अनिर्णीत)

**(11) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2008**

1) पैरा 12 अनिर्णीत (मूल अंकेक्षण प्रतिवेदन में निर्णीत दर्शाया गया है)

3) पैरा 13(ख) अनिर्णीत

3) पैरा 17(ख) अनिर्णीत

**(12) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2008 से 3/2009**

1) पैरा 12 अंशतः (12(क) से (च) तक का निपटारा कर निर्णीत दिया गया है)

2) पैरा 13(क) अनिर्णीत

3) पैरा 13(ख, घ, व च) अनिर्णीत (मूल अंकेक्षण प्रतिवेदन में निर्णीत दर्शाये गए हैं)

4) पैरा 14 अनिर्णीत

5) पैरा 15 अनिर्णीत

6) पैरा 16 अनिर्णीत

7) पैरा 17 अनिर्णीत

8) पैरा 21 अनिर्णीत

9) पैरा 22 अनिर्णीत

10) पैरा 24 अनिर्णीत

11) पैरा 25 अनिर्णीत

**(13) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2009 से 3/2010**

- |     |            |          |
|-----|------------|----------|
| 1)  | पैरा 9     | अनिर्णीत |
| 2)  | पैरा 10    | अनिर्णीत |
| 3)  | पैरा 11(ग) | अनिर्णीत |
| 4)  | पैरा 17    | अनिर्णीत |
| 5)  | पैरा 18    | अनिर्णीत |
| 6)  | पैरा 19    | अनिर्णीत |
| 7)  | पैरा 20    | अनिर्णीत |
| 8)  | पैरा 23    | अनिर्णीत |
| 9)  | पैरा 24    | अनिर्णीत |
| 10) | पैरा 25    | अनिर्णीत |
| 11) | पैरा 28    | अनिर्णीत |
| 12) | पैरा 29    | अनिर्णीत |
| 13) | पैरा 31    | अनिर्णीत |

**(14) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2011**

- |    |           |          |
|----|-----------|----------|
| 1) | पैरा 6    | अनिर्णीत |
| 2) | पैरा 6(1) | अनिर्णीत |
| 3) | पैरा 8    | अनिर्णीत |
| 4) | पैरा 10   | अनिर्णीत |
| 5) | पैरा 18   | अनिर्णीत |

**(15) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2012**

- |     |               |   |
|-----|---------------|---|
| 1)  | पैरा 4(क)(ii) | अनिर्णीत  |
| 2)  | पैरा 4(घ)(ii) | अनिर्णीत  |
| 3)  | पैरा 8        | अंशतः (मद संख्या 3 से 8 तक सक्षम अधिकारी निर्णीत द्वारा अनुमोदित कर दी गई है) |
| 4)  | पैरा 9        | अनिर्णीत  |
| 5)  | पैरा 14(क)    | अनिर्णीत  |
| 6)  | पैरा 14(ख)    | अनिर्णीत  |
| 7)  | पैरा 17       | अनिर्णीत  |
| 8)  | पैरा 21(क)    | अनिर्णीत  |
| 9)  | पैरा 21(ख)    | अनिर्णीत  |
| 10) | पैरा 21(ग)    | अनिर्णीत  |
| 11) | पैरा 21(घ)    | अनिर्णीत  |

**(16) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2012 से 3/2013**

- |    |            |   |
|----|------------|---|
| 1) | पैरा 11    | आंशिक (केवल श्री ओ०पी० वर्मा, संविदाकार से निर्णीत ₹6877 की वसूली की गयी है, शेष पैरा अनिर्णीत) |
| 2) | पैरा 12(1) | अनिर्णीत  |
| 3) | पैरा 13    | आंशिक (केवल श्री ओ०पी० वर्मा, संविदाकार से निर्णीत ₹545 की वसूली की गयी है, शेष पैरा अनिर्णीत)  |
| 4) | पैरा 14    | अनिर्णीत  |
| 5) | पैरा 20    | अनिर्णीत  |
| 6) | पैरा 21    | अनिर्णीत  |
| 7) | पैरा 21(1) | अनिर्णीत  |

8)	पैरा 22(2)	अनिर्णीत
<b>(17) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2013 से 3/2014</b>		
1)	पैरा 10(ख)	अनिर्णीत
2)	पैरा 10(ग)	अनिर्णीत
3)	पैरा 10(3)	अनिर्णीत
4)	पैरा 12(क) से (ख)	अनिर्णीत
5)	पैरा 13(क)	अनिर्णीत
6)	पैरा 16	अनिर्णीत
7)	पैरा 20	अनिर्णीत
8)	पैरा 22(क),(ख),(ग),(घ)	अनिर्णीत
9)	पैरा 23(क),(ख),(ग),(घ)	अनिर्णीत
10)	पैरा 24(ख),(ग),(घ)(i),(ii),(ड)	अनिर्णीत
11)	पैरा 25(क),(ख),(ग)	अनिर्णीत
12)	पैरा 26(क),(ख),(ग),(घ)(i),(ii), (ड),(च)	अनिर्णीत
13)	पैरा 27(क),(ख)(i)(ii)	अनिर्णीत
14)	पैरा 28(क), (ख), (ग), (घ), (ड), (च)(i)(ii)	अनिर्णीत
15)	पैरा 30(क),(ख),(ग)(i)(ii)	अनिर्णीत
16)	पैरा 31(क),(ख)	अनिर्णीत
17)	पैरा 32(क),(ख),(ग)(i)(ii)	अनिर्णीत
18)	पैरा 33(क),(ख)	अनिर्णीत
19)	पैरा 34(क)	अनिर्णीत
20)	पैरा 35(क)(i)(ii)	अनिर्णीत

- 21) पैरा 37 अनिर्णीत
- 22) पैरा 38 अनिर्णीत

**(18) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2014 से 3/2015**

- 1) 4 निर्णीत पुनः प्रारूपित
- 2) 4.1 निर्णीत पुनः प्रारूपित
- 3) 4.2 निर्णीत पुनः प्रारूपित
- 4) 4.3 निर्णीत पुनः प्रारूपित
- 5) 4.4 निर्णीत पुनः प्रारूपित
- 6) 5 निर्णीत पुनः प्रारूपित
- 7) 6 निर्णीत पुनः प्रारूपित
- 8) 7 निर्णीत पुनः प्रारूपित
- 9) 8 निर्णीत पुनः प्रारूपित
- 10) 9 निर्णीत पुनः प्रारूपित
- 11) 10 निर्णीत पुनः प्रारूपित
- 12) 11 निर्णीत अपेक्षित वसूली करने के उपरान्त
- 13) 12 अनिर्णीत
- 14) 13.1.1 निर्णीत पुनः प्रारूपित
- 15) 13.1.2 निर्णीत अपेक्षित कार्यवाही करने के उपरान्त
- 16) 13.1.3 निर्णीत अपेक्षित कार्यवाही करने के उपरान्त
- 17) 13.2.1 निर्णीत अपेक्षित कार्यवाही करने के उपरान्त
- 18) 13.3.1 निर्णीत रोकड़ बही के पृष्ठ-48 पर ₹2000 की राशि को वाउचर संख्या 84 ए दिनांक 30.1.16 द्वारा आय में जमा दर्शाने के उपरान्त
- 19) 13.3.2 निर्णीत ₹747 की बैंक से दिनांक 31.12.15 व 30.1.16 को वसूली उपरान्त
- 20) 13.4.1 निर्णीत अपेक्षित कार्यवाही के उपरान्त
- 21) 14 (क) अनिर्णीत
- 22) 15 (क) निर्णीत प्रस्तुत उत्तर व संविदाकार के 10 वें चलत बिल से अपेक्षित वसूली माप पुस्तिका संख्या 1829, पृष्ठ-45 पर करने के उपरान्त

23)	16	निर्णीत	संविदाकार के 6 ठे चलत बिल से अपेक्षित कटौती प्रारम्भ करने के उपरान्त ( माप पुस्तिका संख्या 1791/14, पृष्ठ-90)
24)	17	निर्णीत	संविदाकार के अन्य कार्य ( अनुबन्ध संख्या 6 ऑफ 2016-17) के दूसरे व अन्तिम बिल से अपेक्षित वसूली माप पुस्तिका संख्या 1856, पृष्ठ-93 पर करने के उपरान्त
25)	18	अनिर्णीत	
26)	19	अनिर्णीत	
27)	20 (क)	निर्णीत	प्रस्तुत स्पष्टीकरण के दृष्टिगत
28)	21	अनिर्णीत	
29)	22	अनिर्णीत	
30)	23	अनिर्णीत	
31)	24	अनिर्णीत	
32)	25	अनिर्णीत	
33)	26	निर्णीत	अपेक्षित कार्यवाही के उपरान्त
34)	26.1	निर्णीत	अपेक्षित कार्यवाही के उपरान्त

(बी) पूर्व नगर विकास प्राधिकरण से मण्डल-1 को स्थानान्तरित बकाया अनिर्णीत पैरों की वर्तमान स्थिति

---

(1) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1990 से 3/1991

1)	पैरा 42	अनिर्णीत
2)	पैरा 46	अनिर्णीत
3)	पैरा 55	अनिर्णीत

(2) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1991 से 3/1992

1)	पैरा 9(ण)3	अनिर्णीत
----	------------	----------

2)	पैरा 9(ण)4	अनिर्णीत
3)	पैरा 9(त)(1)	अनिर्णीत
4)	पैरा 9(त)(2)	अनिर्णीत
5)	पैरा 9(त)(4)	अनिर्णीत
6)	पैरा 9(त)(7)	अनिर्णीत
7)	पैरा 9(त)(8)	अनिर्णीत
8)	पैरा 9(थ)	अनिर्णीत
9)	पैरा 9(ध)	अनिर्णीत
10)	पैरा 10(ग)	अनिर्णीत
11)	पैरा 10(घ)	अनिर्णीत
12)	पैरा 11	अनिर्णीत

**(3) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1992 से 3/1993**

1)	पैरा 11	अनिर्णीत
2)	पैरा 13	अनिर्णीत
3)	पैरा 16(डी)	अनिर्णीत
4)	पैरा 24	अनिर्णीत
5)	पैरा 25	अनिर्णीत
6)	पैरा 26	अनिर्णीत
7)	पैरा 27	अनिर्णीत

**(4) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1993 से 3/1994**

1)	पैरा 11(बी)	अनिर्णीत
2)	पैरा 11(सी)	अनिर्णीत
3)	पैरा 11(डी)	अनिर्णीत
4)	पैरा 11(एफ)	अनिर्णीत

5)	पैरा 11(जी)	अनिर्णीत
6)	पैरा 11(एच)	अनिर्णीत
7)	पैरा 11(आई)	अनिर्णीत
8)	पैरा 11(जे)	अनिर्णीत
9)	पैरा 11(के)	अनिर्णीत
10)	पैरा 11(एल)	अनिर्णीत
11)	पैरा 11(एम)	अनिर्णीत
12)	पैरा 11(एन)	अनिर्णीत
13)	पैरा 11(ओ)	अनिर्णीत
14)	पैरा 11(पी)	अनिर्णीत
15)	पैरा 11(क्यू)	अनिर्णीत
16)	पैरा 12	अनिर्णीत
17)	पैरा 14	अनिर्णीत
18)	पैरा 20(ए0सी0के0)	अनिर्णीत
19)	पैरा 21	अनिर्णीत
20)	पैरा 22	अनिर्णीत
21)	पैरा 31(ए)	अनिर्णीत
22)	पैरा 31(बी)	अनिर्णीत
23)	पैरा 32	अनिर्णीत
24)	पैरा 33	अनिर्णीत

**(5) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1994 से 3/1995**

1)	पैरा 5(6)	अनिर्णीत
2)	पैरा 5(18)	अनिर्णीत
3)	पैरा 5(19)	अनिर्णीत

4)	पैरा 6(3)(1)	अनिर्णीत
5)	पैरा 6(3)(4)	अनिर्णीत
6)	पैरा 6(5)	अनिर्णीत
7)	पैरा 6(16)	अनिर्णीत
8)	पैरा 6(18)	अनिर्णीत
9)	पैरा 6(19)	अनिर्णीत
10)	पैरा 6(20)	अनिर्णीत

**(6) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1995 से 3/1996**

1)	पैरा 34	अनिर्णीत
2)	पैरा 37	अनिर्णीत
3)	पैरा 38	अनिर्णीत
4)	पैरा 39	अनिर्णीत
5)	पैरा 40	अनिर्णीत
6)	पैरा 41	अनिर्णीत
7)	पैरा 42	अनिर्णीत
8)	पैरा 43	अनिर्णीत
9)	पैरा 44	अनिर्णीत
10)	पैरा 46	अनिर्णीत
11)	पैरा 47	अनिर्णीत
12)	पैरा 48	अनिर्णीत
13)	पैरा 49	अनिर्णीत
14)	पैरा 50	अनिर्णीत

**(7) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1996 से 3/1997**

1)	पैरा 13(ड)	अनिर्णीत
----	------------	----------

2)	पैरा 30(क)	अनिर्णीत
3)	पैरा 30(ख)	अनिर्णीत
4)	पैरा 30(ग)	अनिर्णीत
5)	पैरा 30(घ)	अनिर्णीत
6)	पैरा 30(ङ)	अनिर्णीत
7)	पैरा 30(च)	अनिर्णीत
8)	पैरा 31(ग)	अनिर्णीत
9)	पैरा 31(घ)	अनिर्णीत
10)	पैरा 31(ङ)	अनिर्णीत
11)	पैरा 31(छ)	अनिर्णीत
12)	पैरा 31(ज)	अनिर्णीत
13)	पैरा 32	अनिर्णीत
14)	पैरा 33(क)	अनिर्णीत
15)	पैरा 33(ख)	अनिर्णीत
16)	पैरा 35(ख)	अनिर्णीत
17)	पैरा 35(ग)	अनिर्णीत
18)	पैरा 35(घ)	अनिर्णीत
19)	पैरा 37	अनिर्णीत
20)	पैरा 39(ख)	अनिर्णीत
21)	पैरा 40(क)	अनिर्णीत
22)	पैरा 40(ख)	अनिर्णीत
23)	पैरा 45(क)	अनिर्णीत
24)	पैरा 48	अनिर्णीत
25)	पैरा 50	अनिर्णीत

- |     |            |          |
|-----|------------|----------|
| 26) | पैरा 54(च) | अनिर्णीत |
| 27) | पैरा 64(ग) | अनिर्णीत |
| 28) | पैरा 65    | अनिर्णीत |

**(8) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1997 से 3/1998**

- |     |                       |          |
|-----|-----------------------|----------|
| 1)  | पैरा 14 (मण्डल 1 व 2) | अनिर्णीत |
| 2)  | पैरा 15(क)            | अनिर्णीत |
| 3)  | पैरा 15(ख)            | अनिर्णीत |
| 4)  | पैरा 15(ग)            | अनिर्णीत |
| 5)  | पैरा 15(घ)            | अनिर्णीत |
| 6)  | पैरा 15(ङ)            | अनिर्णीत |
| 7)  | पैरा 15(छ)            | अनिर्णीत |
| 8)  | पैरा 15(छ)(1)         | अनिर्णीत |
| 9)  | पैरा 15(ज)            | अनिर्णीत |
| 10) | पैरा 15(झ)            | अनिर्णीत |
| 11) | पैरा 15(फ)            | अनिर्णीत |
| 12) | पैरा 15(ब)            | अनिर्णीत |
| 13) | पैरा 15(भ)            | अनिर्णीत |
| 14) | पैरा 15(म)            | अनिर्णीत |
| 15) | पैरा 15(त)            | अनिर्णीत |
| 16) | पैरा 15(थ)(1)         | अनिर्णीत |
| 17) | पैरा 15(थ)(2)         | अनिर्णीत |
| 18) | पैरा 15(थ)(3)         | अनिर्णीत |
| 19) | पैरा 21(1)            | अनिर्णीत |
| 20) | पैरा 21(2)(1)         | अनिर्णीत |

21)	पैरा 21(2)(क)	अनिर्णीत
22)	पैरा 21(3)	अनिर्णीत
23)	पैरा 21(13)(क)	अनिर्णीत
24)	पैरा 22(1)(क)	अनिर्णीत
25)	पैरा 22(1)(ख)	अनिर्णीत
26)	पैरा 22(7)(घ)	अनिर्णीत
27)	पैरा 22(7)(च)	अनिर्णीत
28)	पैरा 22(8)(ग)	अनिर्णीत
29)	पैरा 22(10)(ग)	अनिर्णीत
30)	पैरा 22(10)(घ)	अनिर्णीत
31)	पैरा 22(16)	अनिर्णीत
32)	पैरा 22(17)	अनिर्णीत
33)	पैरा 22(19)	अनिर्णीत
34)	पैरा 22(20)	अनिर्णीत
35)	पैरा 22(22)	अनिर्णीत
36)	पैरा 26(क)	अनिर्णीत

**(9) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1998 से 3/1999**

1)	पैरा 18	अनिर्णीत
2)	पैरा 25	अनिर्णीत
3)	पैरा 26	अनिर्णीत
4)	पैरा 32	अनिर्णीत
5)	पैरा 33	अनिर्णीत
6)	पैरा 34	अनिर्णीत

7)	पैरा 35	अनिर्णीत
8)	पैरा 36	अनिर्णीत
9)	पैरा 37	अनिर्णीत
10)	पैरा 41	अनिर्णीत
11)	पैरा 46	अनिर्णीत
12)	पैरा 61	अनिर्णीत
13)	पैरा 71	अनिर्णीत
14)	पैरा 78	अनिर्णीत
15)	पैरा 79	अनिर्णीत
16)	पैरा 80	अनिर्णीत

**(10) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1999 से 15.1.2001 तक**

1)	पैरा 21	अनिर्णीत
2)	पैरा 22(क)	अनिर्णीत
3)	पैरा 22(ख)	अनिर्णीत
4)	पैरा 22(ग)	अनिर्णीत
5)	पैरा 26(6)	अनिर्णीत
6)	पैरा 31	अनिर्णीत
7)	पैरा 32(क)	अनिर्णीत
8)	पैरा 35	अनिर्णीत
9)	पैरा 36	अनिर्णीत
10)	पैरा 37	अनिर्णीत
11)	पैरा 38	अनिर्णीत

- |     |         |          |
|-----|---------|----------|
| 12) | पैरा 41 | अनिर्णीत |
| 13) | पैरा 42 | अनिर्णीत |
| 14) | पैरा 46 | अनिर्णीत |
| 15) | पैरा 47 | अनिर्णीत |